v/;k;& 1

vk;kx dh vko';drk ,o xBu %&

NRrhlx< jkT; e Hkh fiNM oxk dh 'k{kf.kd] lkekftd] vkfFkd fLFkfr ,o xHkhj n'kk dk nf"Vxr j[kr g, fiNM ox dh dY;k.k d fy, ioorh e/;in'k fiNMk ox vk;kx d dk;k dk fujrjrk ink; dju gr NRrhlx< jkT; e N-x- jkT; fiNMk ox vk;kx dk xBu o"k 2007 e fd;k x;k ,o N-x- jkT; fiNMk ox vk;kx vf/kfu;e d v/khu i;Dr 'kfDr;k dk i;kx djr g, o"k 2007 e iFke ekuuh; v/;{k Jh ukjk;.k pny dh fu;fDr dh x;hA vk;kx u 8 Qjojh 1985 dh jkti= e idkf'kr vU; fiNMk ox dh lph ,o 5 viy 1997 e e/;in'k jkT; fiNMk ox vk;kx dh l'kkf/kr lph dk vk/kkj ekudj vk;kx u dk; ikjHk fd;kA vk;kx d f}rh; v/;{k d :i e NRrhlx< 'kklu }kjk eku- v/;{k d :i e Mk- lkeukFk ;kno fnukd 24 uoEcj 2011 l 18 fnlEcj 2013 rd v/;{k in ij eukuhr jgA oreku e vk;kx d rrh; v/;{k d :i e Mk- fl;kjke lkg eukuhr fd; x; gA

NRrhlx< jkT; d v-fi-o- d tkfr;k dk fiNMk ox dh jkT; dh lph e LFkkfir fd, tku lc/kh vkonu ekuuh; v/;{k@lfpo d in uke l vk;kx d ir ij if"kr fd; tk ldr gA vk;kx }kjk b&ey l Hkh ikIr f'kdk;r@vkonu rFkk tkfr leko'ku lc/kh i= Lohdkj dj dk;okgh dh tkrh gA

vk;kx dk irk	**%**	**N-x- jkT; fiNMk ox vk;kx]**
		21&lh] jfouxj] dyDVV d ihN] jk;ij ¼N-x-½
		Qku@QD l % 0771&2420352
vk;kx dk ocIkbV	**%**	**www.cgobc.com**
bl&ey	**%**	**secretary_bcc@yahoo.in**

vk;kx dh ocIkbV ij vk;kx d vf/kfu;e] okf"kd ifronu] tkfr dh vulph ,o 'kklu }kjk le;≤ ij tkjh fun'k miyC/k gA

N-x- jkT; e fuokl jr v-fi-o- d tkfr;k dk dUn ljdkj dh v-fi-o- dh lph e LFkkfir dju lc/kh vkonu v/;{k] jk"Vh; fiNMk ox vk;kx d ir ij if"kr fd; tk ldr gA

jk"Vh; fiNMk ox vk;kx dk irk%&	**jk"Vh; fiNMk ox vk;kx]**
	f=dV&1] Hkhdkth dkek lyl] ub fnYYkh& 110068
	TEL-011-26183190, Fax-011-26183227

v/;k;& 2

jkT; fiNMk oxZ vk;ksx ds lf{kIr ifjp;%&

¼31-03-2015 dh fLFkfr e½

vk;ksx ds orZeku eku- v/;{k MkW- fl;kjke lkgw fnukad 04-07-2015 ls inHkkj xg.k fd;s gSA

v/;{k@lnL;ksa gsrq Lohd`r in lajpuk%&

Ø	inuke	in la[;k	fooj.k	fjekdZ
1-	futlfpo	01	v/;{k gsrq	dk&Vfeuls in
2-	fut lgk;d	06	ifr lnL; gsrq 01	dk&Vfeuls in
3-	lgk;d xzM&03	01	v/;{k gsrq	dk&Vfeuls in
4-	HkR;	14	v/;{k@ifr lnL; gsrq 02&02	dk&Vfeuls in
5-	okgu pkyd	01	v/;{k gsrq	dk&Vfeuls in

dk;kZy; gsrq Lohd`r LVkQ %&

Ø-	inuke	Lohd`r in dh la[;k	Hkjs in	fjDr in	fjekdZ
1	2	3	4	5	6
1-	lfpo	01	01	&	fu;fer
2-	lgk- vuql/kku vf/kdkjh	01	01	&	fu;fer
3-	fut lfpo	01	&	01	fu;fer
4-	lgk;d xzM&2	01	&	01	fu;fer
5-	lgk;d xzM&3	02	02	&	ifrfu;fDr dyDVj nj
6-	fut lgk;d	02	02	&	dyDVj nj
7-	MkVk ,.Vh vkijsVj	01	01	&	&^^&
8-	okgu pkyd	01	01	&	&^^&
9-	HkR;	04	04	&	&^^&
10-	pkdhnkj	01	01	&	&^^&
	;kx %&	**15**	**13**	**02**	**&**

vk;kx dk Lo:i %&

N-x- jkT; fiNMk oxl vk;kx e eukuhr v/;{k@lnL;x.k

Ø-	inuke	uke	dc l	dc rd
1	2	3	4	
		iFke dk;ldky ¼23-01-2007 l 29-10-2008½		
1	**eku- v/;{k**	Jh ukjk;.k pny	23-01-2007	29-10-2008
1-		Jh ykpu iVy	14-12-2007	24-12-2008
2-		Mk- x.k'k dkf'kd	03-03-2008	24-12-2008
3-		Jh undekj lkg	10-03-2008	31-10-2008
4-	**eku-lnL;x.k**	Mk- lkeukFk ;kno	10-03-2008	24-12-2008
5-		Jh noUn tk;loky	10-03-2008	24-12-2008
6-		Jh igykn jtd	10-03-2008	24-12-2008
	f}rh; dk;ldky ¼24-11-2011 l 18-12-2013½			
7-	**eku- v/;{k**	**Mk- lkeukFk ;kno**	**24-11-2011**	**18-12-2013**
8-		Jh noUn tk;loky	24-11-2011	18-12-2013
9-	**eku- lnL;x.k**	Jh igykn jtd	25-11-2011	18-12-2013
10-		Jh f'ko pUnkdj	26-11-2011	18-12-2013
11-		Jh NRrj flg uk;d	26-11-2011	18-12-2013
12-		lJh eerk lkg	26-11-2011	18-12-2013
13-		Jh eu'oj flg d'kj	26-11-2011	18-12-2013
	r`rh; dk;ldky ¼04-07-2015 l ---------½			
	eku- v/;{k	Mk- fl;kjke lkg	04-07-2015	fujrj

N-x- jkT; fiNMk oxl vk;kx dk;ky; e dk;jr vf/kdkjh@deplkjh

Ø-	vf/kdkjh@deplkfj;k dk uke	inuke	fjekd
1	2	3	4
1-	Jh y[kjke dj	lfpo	9424280608
2-	Jhefr vfurk MdkV	lgk;d vul/kku vf/kdkjh	9479127037
3-	Jh mRrjk dekj iVy	lgk;d xM&03	9669976851
4-	Jh >keuyky fueydj	---"---	8109770687
5-	Jh dkey ilkn ;kno	fut lgk;d	9685117444
6-	Jh vkeidk'k flUgk	---"---	9752331971
7-	Jh Kku'k ;kno	MkVk ,UVh vkijVj	9993804667
8-	Jh ipjke lkg	okgu pkyd	&
9-	Jh fojUn dekj ;kno	HkR;	&
10-	Jh f=ykpu flg urke		&
11-	Jh mek'kdj nokxu		&
12-	Jh Bkdj jke Bkdj		&
13-	Jh l;dkr Hkkb	pkdhnkj	&

v/;k;& 3
vk;kx d mnn’; %&

Hkkjr d lfo/kku dh /kkjk 340 d iko/kku e fiNM ox d fy, fo'k"k lfo/kk, ,o vkj{k.k ink; fd;k x;k g rkfd bu oxk dh tkfr;k dk cge[kh fodkl rFkk thou Lrj lekt d vU; oxk d leku gk ldA fiNM oxk d leL;kvk d lKku ,o lek/kku d fy, Hkkjr ljdkj }kjk dkdk dkydj rFkk eMy vk;kx dk xBu fd;k x;k rFkk jkT; ljdkjk dk viu jkT; e vk;kx xfBr dju d fun'k Hkh fn; x; ioorh e/;in'k e xfBr vk;kx dh lLrfr;k dk xfr nr g, oreku e N-x- jkT; fiNMk ox vk;kx o"k 2007 l vfLrRo e vk;k gA

¼v½ vk;kx d mnn’; %&

1- jkT; fiNMk ox vk;kx dk xBu

jkT; ljdkj] ,d fudk; dk xBu djxh tk NRrhlx< jkT; fiNMk ox vk;kx d uke l Kkr gkxk vkj tk bl vf/kfu;e d v/khu ml inRr “kfDr;k dk i;kx vkj lki x; dR;k dk ikyu djxkA

2- vk;kx e fuEufyf[kr lnL; gkx%&

¼d½ lkr v”kkldh; lnL; tk fiNM oxk l lcf/kr ekeyk e fo”k’k Kku j[kr g ftue l ,d v/;{k ¼p;jilu½ gkxk ftUg jkT; ljdkj }kjk fu;Dr fd;k tk,xk] ijr lnL;k e l de l de rhu lnL; fiNM oxk e l gkxkA

¼[k½ lpkyd] fiNM ox dY;k.k] NRrhlx<

1- v/;{k rFkk lnL;k dh inkof/k rFkk lok 'kr

2- vk;kx dk iR;d v”kkldh; lnL;] ml rkfj[k l] ftl dk fd og viuk in xg.k djrk g] rhu o’k dh vof/k d fy, in /kkj.k djxkA

3- dkb lnL; fdlh Hkh le; jkT; ljdkj dk lckf/kr LogLrk{kfjr y[k }kjk ;FkkfLFkfr v/;{k ;k] lnL; dk in R;kx ldxkA

4- jkT; ljdkj] lnL; d ink l fdlh 0;fDr dk gVk nxh] ;fn o 0;fDr&

¼d½ vuUekfpr fnokfy;k gk tkrk gA

¼[k½ fdlh ,l vijk/k d fy,] ftle jkT; ljdkj dh jk; e ufrd v|erk vUrofyr g] nk’k fl) gk tkrk g rFkk dkjkokl l nMkfn’V fd;k tkrk gA

¼x½ fodrfpr gk tkrk g rFkk fdlh le{k U;k;ky; }kjk ,lk ?kkf’kr fd;k tkrk gA

¼?k½ dk; dju l bdkj djrk g ;k dk; dju e vleFk gk tkrk gA

¼M-½ vk;kx l vuifLFkr jgu dh vufr vfHkikIr fd, fcuk] vk;kx d yxkrkj rhu lfEeyuk l vuifLFkr jgrk g] ;k

¼p½ jkT; ljdkj dh jk; e v/;{k ;k lnL; dh gfl;r dk bl idkj n:i;kx djrk g ftlls fd ijr fdlh 0;fDr dk bl [k.M d v/khu rc rd ugh gVk;k tk,xk tc rd fd ml ekey e lquokb dk volj ugh n fn;k x;k gA

5- mi/kkjk ¼2½ d v/khu ;k vU;Fkk dkfjr fjfDr dk u;k uke fun”k djd Hkjk tk,xk rFkk bl idkj uke fufn’V 0;fDr viu ioorh d in dh “k’k vof/k rd in /kkj.k djxkA

6- v/;{k rFkk lnL;k dk n; oru rFkk HkRr vkj lok lc/kh vU; fuc/ku rFkk “kr ,lh gkxh tlk fd fofgr fd;k tk,A

2- vk;kx d vf/kdkjh rFkk vU; depkjh

1- jkT; ljdkj vk;kx dk ,d lfpo fu;Dr djxh rFkk vk;kx d fy, ,l vf/kdkfj;k vkj depkfj;k dh 0;oLFkk djxh tk fd vk;kx d d‘R;k d n{krki.k ikyu d fy, vko”;d gA

2- vk;kx d i;ktu d fy, fu;Dr fd, x, vf/kdkfj;k rFkk vU; depkfj;k dk n; oru rFkk HkRr vkj lok lc/kh vU; fuc/ku rFkk “kr ,lh gkxh tlk fd fofgr fd;k tk,A

3- oru rFkk HkRrk dk Hkxrku vunkuk e l fd;k tk,xk

v/;{k rFkk lnL;k dk n; oru rFkk HkRrk vkj i”kklfud 0;;k] ftld vrxe /kkjk 5 e fufn’V lfpo] vf/kdkfj;k rFkk vU; depkfj;k dk n; oru] HkRr rFkk i”ku g] dk Hkxrku /kkjk 12 dh mi/kkjk ¼1½ e fufn’V vunkuk e l fd;k tk,xkA

4- fjfDr;k vkfn d dkj.k vk;kx dh dk;okfg;k vfof/kekU; ugh gkxh

vk;kx dk dkb dk; ;k dk;okgh doy bl vk/kkj ij vfof/kekU; ugh gkxh fd vk;kx e dkb fjDr fo|eku g ;k vk;kx d xBu e dkb =fV gA

5- ifØ;k dk vk;kx }kjk fofu;fer fd;k tkuk

1- v;kx tc vkj ftruh ckj Hkh vko”;d gk] viuk lfEeyu ,l le; rFkk LFkku ij djxk] tlk fd v/;{k mfpr le>A

2- vk;kx Lo; viuh ifØ;k fofu;fer djxkA

3- vk;kx d leLr vkn”k vkj fofu”p;] lfpo }kjk ;k lfpo }kjk bl fufeRr lE;d :i l ikf/kdr vk;kx d fdlh vU; vf/kdkjh }kjk vfHkiekf.kr fd, tk,xA

¼c½ vk;kx d dk;l %&

1- vk;kx dk dR; gkxk fd og%&

¼d½ fiNM oxk d lnL;k dk lfo/kku d v/khu rFkk rRle; ioRr fdlh vU; fof/k d v/khu fn, x, lj{k.k d fy, fgrigjh vk;kx d :i e dk; djA

¼[k½ fiNM oxk d dY;k.k d fy, cu dk;Øek d lefpr rFkk ;Fkk le; dk;kUo;u dh fuxjkuh dj rFkk jkT; ljdkj vFkok fdlh vU; fudk; ;k ikf/kdj.k d dk;Øek d lc/k e tk ,l dk;Øek d fy, ftEenkj g] l/kkj gr l>ko nA

¼x½ ykd lokvk rFkk “k{kf.kd lLFkkvk e io”k d fy, fiNM oxk d vkj{k.k d lc/k e lykg nA

¼?k½ ink ij fu;fDr;k d vkj{k.k dk mic/k dju d i;ktuk d fy, jkT; ljdkj }kjk le;≤ ij r;kj dh x;h lfp;k e fdlh Hkh ukxfjd dk fiNMk ox d :i e lfEefyr dju dh ikFkukvk dk ijh{k.k djuk vkj ,lh lfp;k e fdlh fiNM ox dk ik= u gku ij Hkh lfEefyr dju ;k ik=

gku ij Hkh lfEefyr u dju dh f”kdk;rk dk lu vkj jkT; ljdkj dk ,lh lykg n tlh d og mfpr le>A

¼M½ fiNM ox e] lEiUu ox ¼Øhehy;j½ d vUrxr vku oky 0;fDr ;k leg d iox lfuf”pr djA

¼p½ ,l vU; dR;k dk ikyu dj tk jkT; ljdkj }kjk mI lki tk,A

¼l½ **vk;kx dh 'kfDr;k ¾&**

1- vk;kx dh /kkjk 9 dh mi/kkjk ¼1½ d v/khu viu dR;k dk ikyu djr le; vkj fof”kf’Vrk fuEufyf[kr fo’k;k d ckcr fdlh okn dk fopkj.k dju oky fdlh flfoy U;k;ky; dh “kfDr;k gkxh] vFkkr ¾&

¼d½ jkT; d fdlh Hkh Hkkx l fdlh 0;fDr dk leu djuk vkj gkftj djkuk rFkk “kiFk ij mldh ijh{kk djukA

¼[k½ fdlh nLrkot dk idV dju vkj i”k dju dh vi{kkA

¼x½ “kiFk i=k ij lk{; xg.k djukA

¼?k½ fdlh U;k;ky; ;k dk;ky; l fdlh ykd vfHky[k ;k mldh ifrfyfi dh v/;i{kk djukA

¼M½ lkf{k;k vkj nLrkotk dh ijh{kk d fy, deh”ku fudkyuk] vkj

¼p½ dkb vU; fo’k; tk fofgr fd;k tk,A

&&&0&&&

v/;k;& 4

fiNMsoxksZdsfgrkFkZ'kklu dstkjh vkns'k@funsZ'k %&

¼v½ lkekftd izLFkfr vf/kfu;e%&

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगता (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 394] रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 सितम्बर 2013— भाद्र 11, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13–23/2012/आ. प्र./1–3.—छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

अध्याय–एक

प्रारंभिक

1 संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 कहलाएंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013);

(ख) "आवेदक" से अभिप्रेत है, विहित रीति में प्रमाणपत्र, सत्यापन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका प्रमाणपत्र जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा विनिश्चित अनुसार सत्यापित किया जाना हो, या ऐसा व्यक्ति जिसके नियोक्ता, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, यथास्थिति, केन्द्र शासन या राज्य शासन, के द्वारा उसका प्रमाणपत्र जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति को सत्यापन के लिए संदर्भित किया गया हो;

(ग) "आवेदन" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन आवेदन;

(घ) "प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ण) में यथापरिभाषित तथा धारा 4 की उप–धारा (1) के अधीन जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र;

(ङ) "राष्ट्रपतीय अधिसूचना की तिथि" से अभिप्रेत है, अनुसूचित जाति के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 1950 तथा अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 06 सितम्बर, 1950;

(च) "अन्य राज्यों से प्रवासी" से अभिप्रेत है, व्यक्ति जिसने राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि के पश्चात, यथास्थिति, अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में प्रवास किया हो अथवा जिसका जन्म राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि के पश्चात, यथास्थिति, हुआ हो:

परंतु उसके पिता अथवा वैध पालक के द्वारा राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि के पश्चात्, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में प्रवास किया हो;

(छ) "अनावेदक" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, वह नियोक्ता अथवा शैक्षणिक संस्थान अथवा स्थानीय प्राधिकरण, राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन, जिसके द्वारा आवेदक का प्रमाणपत्र सत्यापन हेतु सत्यापन समिति को निर्दिष्ट किया गया है;

(ज) "अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि" से अभिप्रेत है, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984;

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में राज्यपाल द्वारा जारी आदेश या समय–समय पर यथा संशोधित अन्य पिछड़े वर्गों की अधिसूचित सूची;

(ञ) "विहित" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अंतर्गत विहित;

(ट) "राष्ट्रपतीय अधिसूचना" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 एवं अनुच्छेद 342 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी तथा संसद द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित आदेश;

(ठ) "अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है, नियम 10 के अधीन प्ररूप 4ख में जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र;

(ड) "नातेदार" से अभिप्रेत है, आवेदक के पितृपक्ष के रक्त संबंधी नातेदार;

(ढ) "ग्राम सभा के संकल्प" से अभिप्रेत है, आवेदक की सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में उस ग्राम, जहां आवेदक निवास करता है, की ग्राम सभा के द्वारा जारी कोई घोषणा, निष्कर्ष, निर्णय अथवा संकल्प, जिससे आवेदक की सामाजिक प्रास्थिति, निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो सके;

(ण) "छानबीन समिति" से अभिप्रेत है प्रमाणपत्रों के छानबीन के लिए, अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन गठित उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति;

(त) "सत्यापन प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र को विधिमान्य करते हुए, जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा जारी प्रमाणपत्र;

(थ) "सत्यापन समिति" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन आवेदक को जारी प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए, जिले में गठित जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति।

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में परिभाषित हैं।

अध्याय-दो
सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी किया जाना

3\. प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र.— (1) आवेदक स्थायी आधार पर प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए, प्ररूप-1क में सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(2) आवेदक स्वयं या डाक या चॉइस सेन्टर या सामान्य सेवा केन्द्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(3) आवेदक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :—

(क) प्ररूप-2क में शपथपत्र मूल प्रति में;

(ख) आवेदक का पिछली तीन पीढ़ियों से प्रारंभ, हल्का पटवारी द्वारा सम्यक् रुप से जारी वंशवृक्ष;

(ग) ऐसे दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उसके पूर्वज, यथास्थिति, राष्ट्रपतीय अधिसूचना की तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि, पर या उसके पूर्व से, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास कर रहे हैं;

(घ) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (कमांक 28 सन् 2000) की धारा 67 के अनुपालन में, राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ की अधिसूचना दिनांक 23/09/2000 के पैरा (1) एवं (2) में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित अधिकारी/कर्मचारी या उनकी संतान के आवेदक होने की स्थिति में, ऐसे

दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की सम्यक रूप से अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, जिससे यह प्रमाणित हो कि–

(एक) आवेदक के पूर्वज, यथास्थिति, राष्ट्रपतीय अधिसूचना की तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि, पर या उसके पूर्व से, वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास कर रहे थे;

(दो) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 67 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में उन्हें आबंटित किया गया हो;

(ङ) निम्नांकित में से कोई दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, जिसमें आवेदक के पिता अथवा पूर्वज की जाति उपदर्शित है अर्थात् :–

(एक) पूर्वजों के राजस्व दस्तावेज (मिसल);

(दो) जमाबंदी (सर्वे) या गिरदावरी;

(तीन) राज्य बंदोबस्त;

(चार) अधिकार अभिलेख (1954);

(पॉच) जनगणना (1931);

(छै:) वन विभाग की जमाबंदी;

(सात) नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (1949);

(आठ) जन्म या मृत्यु पंजी;

(नौ) यदि पिता अथवा पूर्वज शिक्षित थे, तो प्रवेश (दाखिल/खारिज) पंजी;

(दस) पिता, पूर्वज अथवा संबंधी (नातेदार) को पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र;

(ग्यारह) जहां जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न हो, ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में पारित संकल्प;

(च) अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के संबंध में, आवेदक के पिता का पूर्व वर्ष का आय प्रमाण पत्र;

(छ) समुचित डाक टिकट सहित पूर्ण एवं स्पष्ट पता लिखा हुआ लिफाफा।

(4) आवेदक, सत्यापन के समय या जब कभी भी आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी, जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति अथवा छानबीन समिति, यथास्थिति, के समक्ष मूल प्रमाणपत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

4. आवेदन का पंजीयन. – सक्षम प्राधिकारी आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पंजी में विहित प्ररूप 5क में आवेदन का पजीयन करेगा।

5 आवेदन पत्र की प्रारंभिक जॉच, पावती एवं वापसी ज्ञापन.–(1) आवेदन पत्र के पंजीयन के उपरांत, सक्षम प्राधिकारी संक्षिप्त रुप से प्रारंभिक जाँच करेगा, और विनिश्चित करेगा कि आवेदनपत्र पूर्ण है अथवा नहीं, तथा उसके साथ नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन वांछित दस्तावेज संलग्न है अथवा नहीं, यदि सक्षम प्राधिकारी यह पाता है कि आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न है तो वह

प्ररूप 3क में विहित पावती आवेदक को उपलब्ध करायेगा तथा यदि अपेक्षित दस्तावेज संलग्न नही है तो प्ररूप 3ख में वापसी ज्ञापन, आवेदनपत्र की प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर, आवेदक को उपलब्ध करायेगा।

(2) यथास्थिति, पावती अथवा वापसी ज्ञापन, का प्रतिपर्ण सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय मे रखा जायेगा।

6. असमर्थता ज्ञापन.–(1) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ऐसा आवेदक, जिसने प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है, यदि नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन वांछित दस्तावेज, समुचित प्रयास के उपरांत भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो वह, वापसी ज्ञापन के पृष्ठ भाग में मुद्रित विहित प्ररूप 3ग में ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने में उसकी असमर्थता के बारे में शपथ पत्र दे सकेगा।

(2) असमर्थता ज्ञापन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी, नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन वांछित दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की मांग नहीं करेगा और नियम 8 के अनुसार आवेदक के दावे की जॉच करेगा:

परन्तु आवेदक, ऐसी जॉच के दौरान सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट जॉच अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा तथा संबंधित व्यक्तियों को उपस्थित कराने में सभी आवश्यक सहयोग करेगा ताकि सामाजिक प्रास्थिति के उसके दावे की पुष्टि हो सके ।

7. जांचकर्ता अधिकारी.– सक्षम प्राधिकारी आवेदनपत्र के प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर, या तो स्वयं जॉच प्रारंभ करेगा अथवा किसी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को जॉच हेतु निर्देशित करेगा।

8. जांच.– (1) जांचकर्ता अधिकारी, आवेदक के निवास, स्थायी पता, राजस्व रिकार्ड, अचल संपत्ति, आवेदक के परिवार का व्यवसाय, मतदाता सूची में नाम एवं अन्य साक्ष्य, जो कि राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित अधिसूचना तिथि, यथास्थिति, पर स्थायी निवासी प्रमाणित करने हेतु तथा आवेदक के द्वारा दावा किये गये सामाजिक प्रास्थिति को प्रमाणित करने हेतु सुसंगत हो, के संबंध में जांच करेगा।

(2) जॉचकर्ता अधिकारी नियम 3 के उप–नियम (3) में उल्लिखित दस्तावेजों के अतिरिक्त स्थानीय संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर पालिक निगम, के दस्तावेजों की भी जॉच कर सकेगा।

(3) जॉचकर्ता अधिकारी ग्राम कोटवार, ग्राम सरपंच, हल्का पटवारी, स्थानीय पार्षद, क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों, वहां के रहने वाले राजपत्रित अधिकारियों, ऐसे स्थानीय सदस्यों जो उस जाति के पहले से प्रमाणपत्रधारी हैं तथा आवेदक को भली–भॉति जानते हैं, के मौखिक कथन भी साक्ष्य के रूप में अभिलिखित कर सकेगा।

(4) जॉचकर्ता अधिकारी, जहॉ वह स्वयं सक्षम प्राधिकारी नहीं है, जॉच उपरांत दस्तावेजी साक्ष्यो एवं अभिलिखित किए गए मौखिक कथनों के साथ अपना लिखित प्रतिवेदन स्पष्ट निष्कर्ष के साथ, जॉच आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर, सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

9. सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र.— सक्षम प्राधिकारी, नियम 3 के उप–नियम (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियम 8 के अधीन जाँच कर और जहाँ वह स्वयं जाँचकर्ता अधिकारी नहीं है, जाँचकर्ता अधिकारी के प्रतिवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों से स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत, आवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर, अनुसूचित जाति के आवेदक को प्ररूप 4क(1) में अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्ररूप 4क(2) में तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को प्ररूप 4क(3) में प्रमाणपत्र जारी करेगा।

10. अस्थायी प्रमाणपत्र.— (1) कक्षा दसवीं तक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अथवा ऐसे स्तर पर छात्रवृत्ति अथवा शिष्यवृत्ति प्रदान करने हेतु अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों हेतु, जहां बड़ी संख्या में प्रमाणपत्र की अपरिहार्यता है एवं ऐसे प्रमाणपत्र यथा समय जारी किया जाना संभव नहीं है, तो, आवेदक के द्वारा प्ररूप 2क में दिए गए शपथ पत्र के आधार पर सक्षम प्राधिकारी प्ररूप 4ख में, आवेदन की तिथि से पन्द्रह दिवस के अंदर, अस्थायी प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा:

परन्तु सक्षम प्राधिकारी प्ररूप 5ख में जारी अस्थायी प्रमाणपत्र का विवरण संधारित करेगा।

(2) अस्थायी प्रमाणपत्र केवल छः माह की अवधि के लिए अथवा स्थाई प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए वैध होगा।

11. अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवासित आवेदक के लिए प्रमाणपत्र.— ऐसे मामले में जहां आवेदक अन्य राज्यों से प्रवासी हो, सक्षम अधिकारी, उस राज्य में, यदि आवश्यक हो, तो संबंधित राज्य के जिला मजिस्ट्रेट या सत्यापन समिति या सतर्कता प्रकोष्ठ के माध्यम से उसकी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में विस्तृत जाँच पड़ताल करने के उपरांत प्ररूप 4ग में प्रमाण पत्र जारी करेगा:

परन्तु ऐसे प्रमाणपत्र धारक उस राज्य, जिससे वह प्रवासित है, में यथास्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग, को प्रदत्त सुविधाओं का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।

12. अस्वैच्छिक प्रवास.— अविभाजित मध्यप्रदेश के शासकीय सेवक तथा निगम, आयोग, मण्डल एवं सार्वजनिक उपक्रम के ऐसे अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण, जो मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य एवं छत्तीसगढ़ राज्य के बीच कैडर विभाजन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में आवंटित हुये हैं, ऐसे कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्य, यदि वे छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो उनको मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य में अस्वैच्छिक प्रवास किया गया समझा जायेगा, तथा उन्हें इस प्रकार प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा और उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण का लाभ देय होगा।

13. प्रमाणपत्र, दस्तावेज पंजी.— सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र का विवरण विहित प्ररूप 5घ में दर्ज किया जायेगा।

अध्याय–तीन
प्रमाणपत्र का सत्यापन

14. जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति का गठन.— (1) राज्य शासन, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए, एक या अधिक जिलों पर अधिकारिता रखने वाली, जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति का निम्नानुसार गठन करेगा :—

(क) कलेक्टर द्वारा नामांकित जिला मुख्यालय में पदस्थ अपर कलेक्टर अथवा डिप्टी कलेक्टर. —अध्यक्ष

(ख)	कलेक्टर द्वारा नामांकित अनुसूचित जनजाति वर्ग का द्वितीय श्रेणी से अनिम्न का एक अधिकारी;	–सदस्य
(ग)	कलेक्टर द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति वर्ग का द्वितीय श्रेणी से अनिम्न का एक अधिकारी,	–सदस्य
(घ)	कलेक्टर द्वारा नामांकित अन्य पिछड़ा वर्ग का द्वितीय श्रेणी से अनिम्न का एक अधिकारी;	–सदस्य
(ङ)	संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नामांकित एक विषय विशेषज्ञ अधिकारी अथवा तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारी;	–सदस्य
(च)	सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ।	–सदस्य सचिव

(2) सत्यापन समितियों के लिए विषय विशेषज्ञ अधिकारी के पद पर या तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, समुचित अधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, तो संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारी अथवा तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारी को सदस्य के रुप में नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) सत्यापन समितियों में नामांकित सेवानिवृत्त विषय विशेषज्ञ अधिकारी या तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारी के लिए, मानदेय राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(4) सत्यापन समितियों की बैठकें, आवश्यकतानुसार प्रत्येक सप्ताह नियत दिवस को आयोजित की जायेगी:

परंतु समिति की बैठक, अध्यक्ष के निर्देश पर मात्र एक दिवस की अल्प सूचना पर भी आहूत की जा सकेगी।

15. प्रमाणपत्र का सत्यापन एवं सत्यापन समिति को संदर्भीकरण– (1) यदि यथास्थिति, संबंधित लोक नियोजक, शैक्षणिक संस्थान या संवैधानिक निकाय, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार को शिकायत प्राप्त होती है अथवा संदेह उद्भूत होता है कि नियुक्त, प्रवेशित, निर्वाचित, नामित अथवा नामांकित व्यक्ति ने त्रुटिपूर्ण रुप से या कपटपूर्वक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है, तो वह प्ररूप 2ख में ऐसे व्यक्ति को शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेगा, तथा प्ररुप 1ख में सत्यापन समिति को प्रकरण निर्दिष्ट करेगा ।

(2) सत्यापन समिति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये कुल प्रमाण पत्रों के लगभग 10 प्रतिशत क्रमरहित नमूना पद्धति के माध्यम से नमूना जॉच के रूप में करेगी। आवेदक, सत्यापन समिति से ऐसी सूचना के संबंध में पूछे जाने के लिए स्वतंत्र नही होगा कि उसके प्रमाणपत्र का चयन सत्यापन हेतु क्यों किया गया है।

(3) सत्यापन समिति, किसी भी आवेदक को, उसकी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में प्ररूप 2ग में शपथ पत्र के साथ प्ररूप 1ग में आवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित कर सकेगा तथा नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित ऐसे दस्तावेज को जो उसकी सामाजिक प्रास्थिति के सत्यापन हेतु आवश्यक हो, को प्रकट करेगा ।

(4) कोई अनावेदक, किसी प्रमाण पत्र को सत्यापन समिति को संदर्भित करने के स्थान पर, आवेदक को भी निर्देशित कर सकेगा कि वह अपना प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा सत्यापित करावे। ऐसी स्थिति में आवेदक अपना मूल प्रमाणपत्र, प्ररूप 2 ग में शपथ पत्र के साथ प्ररूप 1 ग में आवेदन पत्र तथा नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

(5) सत्यापन समिति से उप–नियम (3) के अधीन निर्देशित किए जाने अथवा अनावेदक से उप–नियम (4) के अधीन सत्यापन समिति से उसे अपना प्रमाणपत्र सत्यापित कराने का निर्देश दिए जाने पर, आवेदक, शपथ पत्र के साथ उपरोक्त उल्लिखित आवेदन पत्र तथा नियम 3 के उप–नियम (3) में यथा अपेक्षित दस्तावेज एक माह की अनधिक अवधि के भीतर, प्रस्तुत करने हेतु आबद्ध होगा, ऐसा करने से विफल रहने पर समिति एक पक्षीय निर्णय ले सकेगी तथा ऐसे आवेदक के प्रमाणपत्र को नियम 18 के अधीन छानबीन समिति को अग्रेषित कर सकेगी,

परंतु जहां आवेदक, सत्यापन समिति को इस बात का समाधान करा देता है कि एक माह की विहित समयावधि के भीतर, समुचित कारणों से, आवेदन पत्र, शपथ पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका है तो सत्यापन समिति, आवेदक के प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए समयावधि बढ़ा सकेगी।

16. सत्यापन समिति द्वारा आवेदन पत्र का पंजीयन.– (1) सत्यापन समिति, प्ररूप 5घ में विहित किए गए अनुसार पंजी में, आवेदक अथवा अनावेदक से सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीयन करेगी।

(2) सत्यापन समिति, आवेदन पत्र प्राप्त होने के 7 दिवस के अंदर, प्ररूप 5घ में आवेदक अथवा अनावेदक, यथास्थिति, को उसकी पावती प्रेषित करेगी।

17. सत्यापन समिति के द्वारा प्रमाणपत्र का सत्यापन.– (1) यदि सत्यापन समिति, आवेदन पत्र एवं उससे संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट हो, तो एक माह से अनधिक की अवधि के भीतर, आवेदक, उसके पालक अथवा अनावेदक को, अनुसूचित जाति से संबंधित होने पर प्ररूप 4घ(1) में, अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने पर प्ररूप 4घ(2) में तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने पर प्ररूप 4घ(3) में सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करेगी:

परंतु यदि आवेदक, उसका पालक अथवा अनावेदक, यथास्थिति, के द्वारा डाक से प्रेषित किए जाने का निवेदन किया जाता है, तो समिति, उसे पंजीकृत डाक से प्रेषित करेगी।

(2) सत्यापन समिति, प्ररूप 5ड. में सत्यापन प्रमाणपत्र का विवरण संधारित करेगा।

18. आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट न होने पर, सत्यापन समिति द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया.– (1) जहां सत्यापन समिति, आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट नहीं है, तो वह आवेदनपत्र के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिवस के भीतर अथवा अनावेदक द्वारा संदर्भित होने के पन्द्रह दिवस के भीतर, आवेदक तथा अनावेदक, यदि कोई हो, को तत्संबंध में उक्त कारणों का उल्लेख करते हुए, जिससे वह संतुष्ट नहीं है, सूचित करेगी तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

परन्तु सत्यापन समिति, तीन माह की अनधिक अवधि में सुनवाई पूर्ण करेगी तथा जहां समिति की राय हो कि प्रमाणपत्र त्रुटिपूर्वक या कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया प्रतीत होता है तो नियम 20 के अधीन छानबीन समिति को मूल प्रमाणपत्र सहित सुसंगत दस्तावेज तथा अपने निष्कर्ष जांच के लिए अग्रेषित करेगी तथा आवेदक एवं अनावेदक, यदि कोई हो, को भी सूचित करेगा।

(2) सत्यापन समिति, छानबीन समिति को अग्रेषित प्रमाण पत्र का विवरण प्ररूप 5च में संधारित करेगी।

अध्याय–चार

प्रमाणपत्रों की जॉच, निरस्तीकरण एवं जप्ती

19. उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा मामलों का पंजीकरण.– (1) उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति उसे सत्यापन समिति अथवा राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट प्रकरणों को प्ररूप–5छ में पंजीकृत करेगी ।

20. सतर्कता प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रकरण की जॉच.– (1) छानबीन समिति सत्यापन समिति अथवा राज्य शासन द्वारा उसे निर्दिष्ट प्रकरणों में संबंधित समस्त दस्तावेजों तथा प्रमाण पत्र को प्ररूप–6क में उप पुलिस अधीक्षक के अधीन गठित सतर्कता प्रकोष्ठ की ओर अग्रेषित करेगी;

(2) उप पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ पुलिस निरीक्षक के माध्यम से प्रकरण की जॉच करेगा तथा तद्नुसार उसकी सूचना छानबीन समिति को देगा।

(3) सतर्कता प्रकोष्ठ के पुलिस निरीक्षक–

(क) आवेदक के स्थानीय निवास, मूल एव सामान्य निवास स्थान या प्रवासित होने के पूर्व उसके मूल निवास स्थान के ऐसे नगर, या शहर या गांव की तलाश करेंगे;

(ख) यथास्थिति, आवेदक या उसके माता–पिता या उसके पालक, के द्वारा दावा किये गये सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में सत्यता की जांच लोक दस्तावेजों के आधार पर करेंगे;

(ग) आवेदक के द्वारा सत्यापन समिति को प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित जानकारी का सत्यापन सुसंगत लोक दस्तावेजों एवं विश्वसनीय प्रायवेट दस्तावेजों के आधार पर करेंगे;

(घ) ग्राम कोटवार, ग्राम सरपंच, हल्का पटवारी, स्थानीय पार्षद, क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों, स्थानीय राजपत्रित अधिकारियों, ऐसे स्थानीय सदस्यों, जो पूर्व से प्रमाणपत्र धारी हैं तथा आवेदक को भली–भॉति जानते हैं, से जानकारी प्राप्त करेंगे तथा यदि उनमें से कोई मौखिक कथन देने हेतु सहमत है, तो वह स्वयं उनके मौखिक कथन तद्नुसार अंकित करेंगे अथवा महत्वपूर्ण गवाहों से शपथपत्र के रूप में उनके कथन देने का अनुरोध करेंगे तथा सहमत होने की स्थिति में तद्नुसार उनके शपथपत्र प्राप्त कर उसकी प्रतिलिपि संबंधित गवाह को देंगे;

(ङ) आवेदक को स्वयं तथा आवेदक के माता–पिता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देंगे तथा उनके द्वारा निर्दिष्ट किये गये गवाहों के कथन स्वयं अंकित करेंगे अथवा उनका शपथपत्र प्राप्त करेंगे;

(च) परीक्षण के दौरान यदि यह पाया जाता है कि आवेदक के द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रयोजन से दस्तावेजों में कोई कूट रचना की गई है, तो दस्तावेज के संबंधित पृष्ठों की छायाप्रति प्राप्त करने के पश्चात् स्थानीय पुलिस की सहायता से दस्तावेज जप्त कर एवं उसकी पावती एवं छायाप्रति दस्तावेज संधारित करने वाले प्राधिकारी को देंगे तथा दस्तावेज सीलबंद कर सतर्कता प्रकोष्ठ के उप पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे;

(छ) जांच–पड़ताल पूर्ण होने के उपरांत, समस्त जॉच दस्तावेजों के साथ अपना प्रतिवेदन उप पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।

(4) उप पुलिस अधीक्षक, छानबीन समिति की आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के उपरांत, जप्त दस्तावेज फोरेंसिक जॉच तथा हस्त लिपि विषेषज्ञ को समुचित टीप के साथ प्रेषित करेगा।

(5) उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक से प्राप्त समस्त दस्तावेजों एवं फोरेंसिक तथा हस्तलिपि विशेषज्ञ से प्राप्त निष्कर्षों के साथ आवेदक की सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत छानबीन समिति को प्रस्तुत करेगा।

(6) छानबीन समिति ऐसे प्रतिवेदन का परीक्षण करेगी तथा यदि वह प्रतिवेदन में कोई कमी पाती है, तो पुनः ऐसी कमी को इंगित कर सतर्कता प्रकोष्ठ को प्रतिवेदन लौटा कर विनिर्दिष्ट बिन्दुओं पर जॉच करने हेतु निर्देशित करेगी.

(7) पुलिस निरीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक उपरोक्त उल्लिखित अनुसार प्रकरणों की जॉच–पड़ताल का विवरण प्ररूप–5ज के अनुसार संधारित करेंगे।

21. सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रतिवेदन पर कार्यवाही.– (1) यदि सतर्कता प्रकोष्ठ के जांच प्रतिवेदन में आवेदक की सामाजिक प्रास्थिति संबंधी दावा न्यायसंगत और उचित प्रतिवेदित है, तो छानबीन समिति को उस पर किसी अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी और वह तद्नुसार संबंधित, यथास्थिति, सत्यापन समिति अथवा राज्य शासन एवं आवेदक को अवगत करायेगी।

(2) यदि प्रकरण राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो राज्य शासन के स्तर पर प्रकरण नस्तीबद्ध कर उसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी तथा यदि प्रकरण सत्यापन समिति के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो सत्यापन समिति नियम 17 में उपबंधित रीति में सत्यापन करने के उपरांत मूल एवं सत्यापित प्रमाणपत्र, यथास्थिति, आवेदक अथवा अनावेदक को प्रेषित करेगी।

22. उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा जांच.– (1) जहॉं छानबीन समिति, आवेदक के सामाजिक प्रास्थिति के दावे से सतकर्ता प्रकोष्ठ के जॉच प्रतिवेदन के अनुसार संतुष्ट नहीं है, तो समिति पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदक को विहित प्ररूप–6ख में सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रतिवेदन के साथ कारण बताओ नोटिस देगी तथा ऐसे नोटिस की प्रतिलिपि अनावेदक को भी, (यदि कोई हो तो), दी जायेगी।

(2) आवेदक का उत्तर प्राप्त होने के पश्चात्, छानबीन समिति एक बैठक आहूत करेगी, जिसमें वह आवेदक को उसके मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करेगी तथा आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जायेगा।

(3) छानबीन समिति, सुनवाई से संबंधित आम सूचना भी जारी करेगी, जिसका प्रचार प्रसार गांव में डोंडी पिटवाकर, ईश्तहार या अन्य सुविधाजनक साधनों के माध्यम से किया जायेगा, ताकि कोई व्यक्ति या संस्था आवेदक के दावे का समर्थन या विरोध कर सके तथा ऐसे व्यक्ति या संस्था को भी यदि कोई हो तो सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(4) आवेदक को स्वयं या उसके अभिभावक को (नाबालिग आवेदक की स्थिति में) सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, छानबीन समिति ऐसी जॉच कर सकेगी, जिससे वह दावे तथा अन्य आपत्तियों पर विचार कर सके।

(5) छानबीन समिति तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार को तामीली हेतु नोटिस अथवा समंस भेजेगी, जो प्ररूप–6ग में निर्देशित रीति अनुसार नोटिस की तामिल करेगा।

23. छानबीन समिति का निर्णय एवं तत्पश्चात् कार्यवाही.– (1) दावे पर पक्ष एवं विपक्ष दोनों की सुनवाई के उपरांत, आवेदक के दावे की सत्यता के संबंध में छानबीन समिति की संतुष्टि होने पर वह सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु, यदि ऐसा आवेदित है, तो संबंधित सत्यापन समिति को निर्देशित करेगी।

(2) आवेदक के सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के उसके दावे के संबंध में सुनवाई के पश्चात् यदि छानबीन समिति, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आवेदक का दावा वास्तविक नहीं है, तो वह कारण सहित आदेश पारित कर सकेगी तथा प्रमाणपत्र को निरस्त कर सकेगी।

(3) छानबीन समिति उप–नियम (2) के अन्तर्गत आदेश पारित करते समय अधिनियम की धारा 10 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत शिकायत प्रस्तुत करने हेतु नियोजक, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकारी, केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन के एक अधिकारी को प्राधिकृत करेगी तथा आगामी कार्यवाही के लिए प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रतियाँ ऐसे अधिकारी को अग्रेषित करेगी।

(4) छानबीन समिति इस नियम के उप–नियम (2) के अन्तर्गत आदेश पारित करते समय संबंधित कलेक्टर को जॉच करने हेतु यह निर्देशित करेगी, कि क्या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ऐसा मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जानबूझ कर जारी किया गया है अथवा इस बात की जानकारी रखते हुए जारी किया गया है कि ऐसा प्रमाणपत्र असत्य है अथवा क्या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है तथा कलेक्टर 3 माह के अंदर अपना प्रतिवेदन राज्य शासन को अग्रेषित करेगा।

(5) छानबीन समिति मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण का आदेश पारित करने के पश्चात उसे समपहृत करेगी तथा उसका विवरण प्ररूप–5झ में विहित किये गये अनुसार पंजी में अंकित करेगी तथा ऐसे प्रमाणपत्र पर "निरस्त एवं समपहृत" मुद्रित किया जायेगा।

(6) छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश की प्रतियॉं अनावेदक, यदि कोई हो, तथा आवेदक को पंजीकृत डाक के द्वारा ऐसे आदेश पारित होने के तत्काल उपरांत प्रेषित की जायेंगी। यदि आवेदक अथवा कोई अन्य व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हो कर आदेश की प्रति की मॉंग करता है, तो उचित शुल्क के भुगतान पर उस व्यक्ति को प्रदान कर दी जायेंगी।

24 मिथ्या प्रमाण पत्र धारक के विरूद्ध कार्यवाही– (1) यथास्थिति, लोक नियोजक, शैक्षणिक संस्थान अथवा संवैधानिक निकाय, राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन, का अधिकारी, जो छानबीन समिति के द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, छानबीन समिति के द्वारा पारित निर्णय की अभिप्रमाणित प्रति के आधार पर उक्त मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र धारक के विरूद्ध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधि. सं. 2) की धारा 154 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायेगा।

25. मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारीकर्ता सक्षम प्राधिकारी एवं दुष्प्रेरक के विरूद्ध कार्यवाही– संबंधित जिले का कलेक्टर मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारीकर्ता सक्षम प्राधिकारी एवं अपराध के दुष्प्रेरक के विरूद्ध लिखित शिकायत दर्ज करायेगा।

अध्याय–पाँच

विविध

26. **प्रमाण पत्र तथा सत्यापन प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति जारी किए जाने हेतु प्रक्रिया.**– जहाँ आवेदक से संबंधित मूल प्रमाणपत्र अथवा सत्यापन प्रमाणपत्र खो गया हो या चोरी हो गया हो या बाढ़, भूकंप इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गया हो, तो निवेदन पर राज्य शासन द्वारा यथा निर्धारित शुल्क प्राप्त करने के पश्चात्, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी अथवा सत्यापन समिति, ऐसे कार्यालय में रखे गये मूल दस्तावेजों के आधार पर उसकी द्वितीय प्रति जारी कर सकेंगे। ऐसे प्रमाणपत्र अथवा सत्यापन प्रमाणपत्र पर "द्वितीय प्रति" का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

27. **प्रमाण पत्र जारी करने, सत्यापित करने अथवा निरस्त करने की सूचना.**– (1) सक्षम प्राधिकारी, सत्यापन समिति तथा छानबीन समिति, यथास्थिति, प्रमाणपत्र जारी करने, सत्यापित करने अथवा निरस्त करने के संबंध में प्रत्येक माह की 5 तारीख के पूर्व कार्यालय के सूचना पटल पर जानकारी प्रदर्शित करेगी तथा उसकी सूचना स्थानीय स्वायत्त संस्थानों एवं निकायों, नगर निगमों, नगर पालिका, ग्राम पंचायत इत्यादि को उनके रिकार्ड के लिए तथा जिला सूचना केन्द्रों के माध्यम से निर्धारित वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु भी भेजेगी।

(2) सक्षम प्राधिकारी प्रमाणपत्र जारी करने तथा आवेदनों को निरस्त करने की जानकारी प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक विहित प्ररूप–7क में राज्य शासन को भी प्रेषित करेगी।

(3) सत्यापन समिति प्रमाणपत्रों के सत्यापन करने, आवेदनों के निरस्त करने, छानबीन समिति को प्रकरणों को अग्रेषित करने की जानकारी प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक विहित प्ररूप–7ख में राज्य शासन को प्रेषित करेगी।

(4) छानबीन समिति, राज्य शासन तथा सत्यापन समितियों के द्वारा निर्दिष्ट शिकायतों पर जाँच एवं प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण संबंधी जानकारी प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक विहित प्ररूप–7ग में राज्य शासन को प्रेषित करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 13–22 / 2012 / आ.प्र. / 1–3 नया रायपुर, दि. 30/06/2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय:– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र (जाति प्रमाण–पत्र) जारी करने सत्यापित करने तथा निरस्त करने आदि के संबंध में निर्देश।

—::—

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत आ. जा. तथा अनु. जा.वि.वि. का पत्र क. 3095 / 129 / 2012 / 25–2, दि. 08.05.2014 एवं इस विभाग के परिपत्र क. एफ 13–22 / 2012 / आ.प्र. / 1–3, दि. 24.09.2013 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र (जाति प्रमाण–पत्र) जारी करने, सत्यापित करने तथा निरस्त करने की प्रक्रिया के सरलीकरण के निर्देश जारी किए गए हैं।

2/ राज्य शासन के ध्यान में यह बात लायी गई है कि जाति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु संबंधित प्राधिकृत अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

3/ अतः इस संबंध मे निर्देशित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को तत्काल समुचित निर्देश दें तथा जाति प्रमाण–पत्र जारी करने संबंधी उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(एम.आर.ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 13–22 / 2012 / आ.प्र. / 1–3 नया रायपुर, दि. 30/06/2014

प्रतिलिपि :–

1. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जाति तथा अनु. जाति वि.वि. की ओर उनके पत्र क. 3095 / 129 / 2012 / 25–2, दिनांक 08.05.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय मंत्रालय, रायपुर की ओर उनके पत्र क. 543 / मुमंस / 2014 / व्हीआईपी, दिनांक 05.04.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सहायक, भूतपूर्व सांसद सदस्य (लोकसभा), न्यू सिविल लाइन्स, राजनांदगांव (छ.ग.) ओर उनके पत्र क. 771 / सां.का. / TWD / 2014, दिनांक 16.01.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3 नया रायपुर, दिनांक 17/11/2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषयः– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों का सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र (जाति प्रमाण–पत्र) जारी नियमों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने बाबत्।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 08.08.2014.

---::---

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र (जाति प्रमाण–पत्र) जारी करने, सत्यापित करने एवं "ऑनलाईन ई–कॉस्ट सर्टिफिकेट" की व्यवस्था की प्रक्रिया में सरलीकरण के संबंध में आ.जा. तथा अनु.जा.वि.वि. के पत्र कमांक 3816/आरा.1228/2012/25–2, दिनांक 08.05.2013 एवं इस विभाग के परिपत्र क. एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3 दिनांक 24.09.2014 द्वारा निर्देश जारी किए गए है साथ ही उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु इस विभाग के संदर्भित समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 30.06.2014 द्वारा निर्देश दिए गए हैं।

2/ राज्य शासन के ध्यान में यह बात लायी गई है कि जाति प्रमाण–पत्र के संबंध में आवेदकों को हो रही कठिनाई का लगभग 80 प्रतिशत निराकरण हो चुका है, शेष 20 प्रतिशत कठिनाईयाँ नियमों से संबंधित न होकर नियमों के कियान्वयन से संबंधित हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि जाति प्रमाण–पत्र के आवेदन–पत्र ऑनलाईन भी प्राप्त किये जाएं, तथा कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने के पूर्व उन्हें जाति प्रमाण–पत्र प्रदाय कराना सुनिश्चित करें। जाति प्रमाण–पत्र जारी करने में हो रही कठिनाईयों का निराकरण सभी जिलों में विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर ली जाए।

(के.आर.मिश्रा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

11/11/15

क्रमशः2...

Letter2010-11.doc

1096

पृ. क्रमांक एफ 13—22/2012/आ.प्र./1—3 नया रायपुर, दिनांक 17/11/2014
प्रतिलिपिः—

1. अपर मुख्य सचिव, आ0जा0 तथा अनु0जा0वि0 विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
4. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा, मंत्रालय, नया रायपुर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व, मंत्रालय, नया रायपुर
7. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, नया रायपुर
8. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, नया रायपुर
9. संभागीय आयुक्त रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर/सरगुजा
10. संचालक, आदिम जाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, नया रायपुर
11. रजिस्ट्रार जनरल, मान0 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
12. अवर सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय मंत्रालय, नया रायपुर
13. मान0 मंत्रीगण/विशेष सहायक/निज सहायक छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. सचिव छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग रायपुर
15. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़
16. संचालक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/gad पर अपलोड हेतु।

की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

17/XI/14
(एम.आर.ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Letter2010-11.doc

1097

¼c½ fØfeys;j dsekin.Mksdk l'kks/ku dk ,dtkbZdj.k lc/kh funsZ'k %&

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 9–3 / 2001 / आ.प्र. / 1–3, नया रायपुर, दिनांक 19/9/2013
प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़.

विषय :– अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमीलेयर के मापदण्डों में संशोधन तथा **एकजाईकरण।**

संदर्भ :– सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. एफ 9–3 / 2001 / 1–3, दिनांक 24.06.2009 संमसख्यक परिपत्र दिनांक 02.06.2011 एवं दिनांक 10.06.2013.

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमीलेयर के मापदण्ड जारी किए गए हैं, तथा समय–समय पर भारत सरकार द्वारा क्रीमीलेयर की आय सीमा में वृद्धि करने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा भी संशोधन किया गया है। अनेक माध्यम से मूल मापदण्डों में आंशिक, शाब्दिक त्रुटियों की ओर ध्यानाकर्षित करने के फलस्वरूप उनमें संशोधन तथा समय–समय पर जारी परिपत्रों के प्रावधानों को शामिल कर एकजाई मापदण्ड जारी किए जा रहें हैं, जो संलग्न है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

16/9/13

(एम.आर.ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

19/9/13

—2—

पृ.क्र.एफ 9–3 / 2001 / आ.प्र. / 1–3, नया रायपुर, दिनांक 19/09/ 2013

प्रतिलिपिः–

सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर।
3. मुख्य सचिव, के अवर सचिव मंत्रालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर
6. माननीय मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण / संसदीय सचिव के निज सचिव / निज सहायक, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, नया रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,छत्तीसगढ़ रायपुर।
11. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
12. आयुक्त, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
14. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग / मानव अधिकार आयोग, रायपुर।
15. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग / अनुसूचित जनजाति आयोग / अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।
16. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर,बिलासपुर, छ.ग.।
17. अध्यक्ष, जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग.।
18. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र मंत्रालय, नया रायपुर, की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट **www.cg.nic.in/gad** पर अपलोड हेतु।

16/9/13

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

–3–

Letter2010-11.doc-789

क्रीमीलेयर के मापदण्ड

क्र.	प्रवर्ग का वर्णन	क्र.	अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा
1	2	3	4
1.	संवैधानिक पद	1.	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉं)
		(क)	भारत के राष्ट्रपति
		(ख)	भारत के उपराष्ट्रपति
		(ग)	उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश.
		(घ)	संघ लोक सेवा आयोग / राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक
		(ड़)	समान स्वरूप के संवैधानिक पदों का धारण करने वाले व्यक्ति
2.	सेवा प्रवर्ग (सर्विस केटेगरी)		निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां)
(क)	अखिल भारतीय केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं के समूह–ए /वर्ग–1 अधिकारी (सीधी भरती द्वारा नियुक्त)	(क)	जिनके माता–पिता दोनो ही वर्ग–I अधिकारी है।
		(ख)	जिनके माता–पिता में से कोई एक वर्ग–I अधिकारी है।
		(ग)	जिनके माता–पिता में से दोनों ही वर्ग–I अधिकारी हैं किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाता है।
		(घ)	जिनके माता–पिता में से एक वर्ग–I अधिकारी है, और उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है और उसने ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अंर्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की सुविधा ली हो।

–4–

(ड़) जिनके माता—पिता दोनों ही वर्ग—I के अधिकारी हैं तथा जिनकी मृत्यु हो जाती है अथवा जो स्थाई तौर पर अक्षमता के शिकार हो जाते हैं और दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी ने किसी अंर्तराष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।

परन्तु अपर्वजन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :—

(i) उनकी पुत्र एवं पुत्रियां जिनके माता—पिता में से कोई एक या दोनों वर्ग—I अधिकारी है किन्तु उसकी /उनकी मृत्यु हो जाती है अथवा स्थाई अक्षमता का शिकार हो जाता है।

(ii) अन्य पिछड़े वर्ग की ऐसी महिला जिसका विवाह वर्ग—I अधिकारी से हुआ है, भले ही अधिकारी पिछड़ा वर्ग का हो अथवा नहीं, तथा वह स्वयं नौकरी के लिये आवेदन देना चाहती है।

(iii) जिनके माता/पिता में से कोई एक वर्ग—I का अधिकारी है तथा वह सेवानिवृत्त हो चुका है।

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सेवा के समूह बी/वर्ग— II के अधिकारी (सीधी भरती) द्वारा नियुक्त।

निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉ)

(क) जिनके माता/पिता दोनों ही वर्ग—II के अधिकारी है।

(ख) जिनके माता, पिता में से केवल पति वर्ग—II का अधिकारी है और वह 40 वर्ष की आयु अथवा इससे पूर्व आयु में वर्ग—I अधिकारी बनता है।

—5—

(ग) जिनके माता, पिता दोनों ही वर्ग–II के अधिकारी हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता हैं एवं उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थाई अक्षमता से पूर्व किसी अंर्तराष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।

(घ) जिनके माता, पिता में से पति वर्ग–I अधिकारी हो (सीधी भरती से नियुक्ति अथवा 40 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नत) तथा पत्नी वर्ग–II अधिकारी हो तथा पत्नी की मृत्यु हो जाय, अथवा अस्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये, तथा

(ड़) जिनके माता–पिता में से पत्नी वर्ग–I अधिकारी हो (सीधी भरती से अथवा 40 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नत) एवं पति वर्ग–II अधिकारी हो और पति की मृत्यु हो जाये, अथवा यह स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये।

परन्तु अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :–

निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉ)

(क) जिनके माता, पिता दोनों वर्ग–II अधिकारी हैं किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थाई अक्षमता का शिकार हो जाता है।

–6–

		(ख) जिनके माता तथा पिता दोनों वर्ग–II अधिकारी हैं तथा दोनों की मृत्यु हो जाती हैं अथवा दोनों ही स्थाई अक्षमता का शिकार हो जाते हैं, चाहे उनमें से किसी ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व किसी अंर्तराष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।
		(ग) जिनके माता/पिता में से कोई एक वर्ग–II का अधिकारी है तथा वह सेवानिवृत्त हो चुका है।
(ग)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि के कर्मचारी	इस प्रवर्ग में उपर्युक्त ''क'' तथा ''ख'' में बताया गया मापदण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंको, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समकक्ष अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों पर लागू होगा। साथ ही गैर सरकारी (प्रायवेट) समकक्ष या समतुल्य पदों एवं स्थानों पर कार्यरत अधिकारियों पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होगा। इन संस्थानों में समकक्ष या तुल्य आधार पर पदों का मूल्यांकन लंबित है तो निम्न प्रवर्ग VI में अंकित मापदण्ड इन संस्थानों के अधिकारियों पर लागू होंगे।
3.	सशस्त्र सेनाएं जिनमें अर्द्ध सैनिक बल शामिल है (सिविल पदों पर कार्यरत व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है)	उन माता, पिता के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉ) जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सेना में कर्नल अथवा इससे ऊपर के स्तर पर तथा जल सेना और वायु सेना एवं अर्द्ध सैनिक बलों में समकक्ष पदों पर कार्यरत है परन्तु,

—7—

(एक) यदि सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी स्वयं सशस्त्र सेना (अर्थात् विचारार्थ प्रवर्ग) में है तो अपवर्जन नियम केवल तब लागू होगा जब वह स्वयं कर्नल के स्तर तक पहुँच जायेगी।

(दो) पति तथा पत्नी के कर्नल के नीचे के स्तर को इकट्ठा नहीं किया जायेगा।

(तीन) यहाँ तक की सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी के सिविल नियुक्ति में होने पर भी अपवर्जन नियम को लागू करने के आशय से इसे मद्देनजर नहीं रखा जायेगा जब तक कि वह पद संख्या–2 के तहत् सेवा के प्रवर्ग में न आ जाए। ऐसे मामले में मानदण्ड तथा उनमें वर्णित शर्ते उस पर स्वतंत्र रूप से लागू होंगी।

विशेष टीप : प्रवर्ग 2 के (क) एवं (ख) तथा प्रवर्ग–3 के अतिरिक्त, किसी भी केन्द्रीय, प्रादेशिक एवं सशस्त्र सेना, जिनमें अर्द्ध सैनिक बल शामिल है, के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर क्रीमीलेयर के अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा।

4.	व्यावसायिक : वर्ग तथा वे जो व्यापार और उद्योग में लगे हुए हो,	प्रवर्ग–6 के समक्ष विनिर्दिष्ट मापदण्ड लागू होगा।
(1)	चिकित्सक, वकील, चार्टड अकाउण्टेंट, आयकर परामर्शदाता, वित्तीय या प्रबंध सलाहकार, दंत चिकित्सक, अभियंता वास्तुकार, कम्प्यूटर विशेषज्ञ, फिल्म कलाकार तथा अन्य व्यक्ति जिनका व्यवसाय फिल्मों से जुड़ा है,	

–8–

	लेखक, नाटककार, पेशेवर खिलाड़ी खेल व्यवसायी जनसंचार व्यवसायी अथवा समान स्तर के अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति।	
(2)	व्यापार, कारोबार तथा उद्योगों में लगे व्यक्ति	प्रवर्ग–6 के समक्ष विनिर्दिष्ट मापदण्ड लागू होगा। स्पष्टीकरण – (1) चाहे पति किसी व्यवसाय में हो तथा पत्नी वर्ग–2 अथवा निम्न ग्रेड की नियुक्ति में हो, आय/सम्पत्ति का आंकलन केवल पति की आय के आधार पर किया जायेगा। (2) यदि पत्नी किसी व्यवसाय में हो तथा पति वर्ग–2 अथवा निम्न ग्रेड की नियुक्ति में हो, आय/सम्पत्ति का आंकलन केवल पत्नी की आय के आधार पर होगा और पति की आय को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
5.	सम्पत्ति धारक	(एक) एक ही परिवार (माता–पिता अव्यस्क बच्चे) के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉ) जो निम्नलिखित के स्वामी हैं.
(क)	कृषि क्षेत्र	(एक) सिंचित क्षेत्र प्रवर्ग–6 के समक्ष, विनिर्दिष्ट मापदण्ड लागू होंगे। (दो) यदि परिवार के पास जोत क्षेत्र है, वह पूर्णतः असिंचित क्षेत्र है, तो अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा।
(ख)	बागान	
(एक)	कॉफी, चाय, रबर आदि	नीचे प्रवर्ग–6 में निर्दिष्ट आय/सम्पत्ति का मानदण्ड लागू होगा।
(दो)	आम, खट्टे फल, सेव के बाग आदि	इन्हें कृषि क्षेत्र समझा जावेगा इसलिए इस प्रवर्ग पर उपरोक्त ''क'' मापदण्ड लागू होगा।

—9—

(ग)	शहरी तथा उप नगरीय क्षेत्रों में भवन और / या खाली भूमि		नीचे प्रवर्ग–6 में विनिर्दिष्ट मापदण्ड लागू होगा। स्पष्टीकरण :— भवन का उपयोग रहने, औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये किया जा सकता है या इस तरह के दो या अधिक प्रयोजनों के लिये किया जा सकता है।
6.	आय / सम्पत्ति आंकलन	(क)	उन व्यक्तियों के पुत्र एवं पुत्रियॉं, जिनकी लगातार तीन वर्षो तक की कुल वार्षिक आय **(रूपये 6.00 लाख) (रूपये छः लाख)** या उससे अधिक है अथवा धनकर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखते है।
		(ख)	श्रेणी–I,II,III, और V-क में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने का हकदार है, परन्तु जिनकी अन्य स्त्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्युक्त (क) में उल्लेखित आय / सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लाएगी के पुत्र और पुत्रियॉं।
		(i)	स्पष्टीकरण–वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को संयुक्त रूप से नहीं जोड़ा जाएगा।
		(ii)	रूपये के मूल्य परिवर्तन के सापेक्ष आय के मापदण्ड में प्रति तीन वर्ष में एक बार संशोधन किया जायेगा। परिस्थितियों की मांग के अनुरूप अंतर अवधि कम भी हो सकती है।

स्पष्टीकरण :— (1) इस अनुसूची में जहां कहीं भी "स्थायी अक्षमता" का प्रयोग हुआ है, उसका तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकारी को सेवा में बनाये नहीं रखा जा सके।

-----XXXX------

छत्तीसगढ़ शासन

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

सी– 21, रवि नगर, कलेक्टोरेट के पीछे, रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. – 0771–2420352

क्रमांक /732/ रापिवआ / 2014 रायपुर, दिनांकः 16/09/ 2014

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :– अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में शामिल करने प्रतिवेदन संबंधी।

संदर्भः– आपका पत्र क्रं. / 6448 / 3733 स / 2013 / 25–2 नया रायपुर, दिनांक 28.08.2014

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के संलग्न पत्र के संबंध में आपके निर्देशानुसार कार्यवाही कर प्रतिवेदन आपकी ओर सादर प्रेषित हैं।

संलग्नः– केन्द्रीय सूची में स्थापित करने प्रस्तावित सूची।

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

o/c

छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां/उपजातियों को केन्द्रीय सूची में शामिल करने हेतु प्रस्तावित सूची

केन्द्र सूची क्रमांक	राज्य सूची क्रमांक	केन्द्रीय सूची में शामिल हेतु प्रस्तावित जाति	विवरण	कैफियत
1	2	3	4	5
1	1	बरगाह, बरगाही, महाकुल(राउत), महकुल, गोवारी	उक्त जातियां अविभाजित म.प्र. के समय से स्थापित है फलस्वरूप अनुसंधान संबंधी प्रतिवेदन/अभिलेख उपलब्ध नहीं है।	उक्त जाति को केन्द्रीय सूची में शामिल करने हेतु प्रस्तावित है।
2	2	असाड़ा	—"—	—"—
5	4	धरिया	—"—	—"—
6	5	बरई (चौरसिया), कुमावट	—"—	—"—
7	6	दवेज	—"—	—"—
	7	बारी	—"—	—"—
64	8	वसुदेवा, वासुदेव, थारवार	—"—	—"—
9	10	सालवी, जनमालोंधी, चारण	—"—	—"—
12	11	मनधाव	—"—	—"—
18	12	केवट (कश्यप, निषाद, बाथम), सिंगरहा, जालारी (जालारनलु बस्तर जिले में), ब्रितिया (वृतियॉं)	—"—	—"—
52	13	पोवार	—"—	—"—
	15	भोपा, मानभाव	—"—	—"—
14	17	कुलवंधया	—"—	—"—
16	19	छीपी	—"—	—"—
19	20	बट्‌ठी, बरेठा, रजक	—"—	—"—
28	24	कोडार	—"—	—"—
36	25	कोश्काटी (लिंगायत) गरवार, डुकर, कोल्हाटी	—"—	—"—
20	26	डफली, ढोली, दमामी	—"—	—"—
22	30	हरिदास	—"—	—"—
27	33 अ)	काछी (शाक्य)	—"—	—"—
	34	जोशी (भड्डरी) डकोचा, डकोता	—"—	—"—
63	36	ओटारी, घड़वा, झारिया	—"—	—"—
34	37	खाटिया	—"—	—"—
39	39	कुरमी	—"—	—"—
	41	कौरव, कांवरे	—"—	—"—
29	42	कलार (जायसवाल)	—"—	—"—
30	43	कलौटा	—"—	—"—
43	44,	ओड, नौनिया	—"—	—"—
47	45	उसरेटे	—"—	—"—
62	51	तेली (ठाठ)	—"—	—"—
	53	तवायफ, किसडी, कसडी	—"—	—"—
	54	वोवरिया	—"—	—"—
45	56	नहाल	—"—	—"—
	58	खैरूवा	—"—	—"—
	59	लोढा (तंवर)	—"—	—"—

	63	तिऊर, तूरी	—"—	—"—
56	65	सुत–सारथी	—"—	—"—
	66	तेलंगा, तिलगा	—"—	—"—
	68	रजभर	—"—	—"—
	70	सारगरा	—"—	—"—
	71	गोलान, गवलान, गौलान	—"—	—"—
	72	रज्जड़, रजझड़	—"—	—"—
	73	जादम	—"—	—"—
	75	गयार / परधनिया	—"—	—"—
	76	कुड़मी	—"—	—"—
	78	बया महरा / कौशल, वया	—"—	—"—
	82	आजना	—"—	—"—
	83	धोरिया	—"—	—"—
	84	गेहलोत मेवाड़ा	—"—	—"—
	85	रेवारी	—"—	—"—
	86	रूआला / रूहेला	—"—	—"—
59	89	शौण्डिक	—"—	—"—
इस्लामी समूह				
26–20	87--16	हम्माल	उक्त जातियां अविभाजित म.प्र. के समय से स्थापित है फलस्वरूप अनुसंधान संबंधी प्रतिवेदन / अभिलेख उपलब्ध नहीं है।	उक्त जाति को केन्द्रीय सूची में शामिल करने हेतु प्रस्तावित है।
26–20	87--22	कांकर	—"—	—"—
	87--26	शीशगर	—"—	—"—

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

v/;k;& 5

vk;kx dk foRrh; ctV %&

NRrhlx< jkT; fiNMk ox vk;kx dk foRrh; o"k 2014&15 e dy 1 djkM dk ctV vunku ikIr gvk Fkk ftlda fo:) enokj 0;; fooj.k fuEukuqlkj g %&

NRrhlx< jkT; fiNMk oxl vk;kx dk foRrh; o"kl 2014&15

¼1 vizy 2014 l 31 ekpl 2015 rd½

Ø-	fooj.k	jkf'k ¼yk[k e½
1-	dk;ky;hu dePkkfj;k d oru] HkRr vkfn	27-785
2-	Mkdrkj o njHkk"k	0-546
3-	fo|r ,o ty iHkkj	0-376
4-	;k=k HkRrk	0-037
5-	iVky 0;; ,o okgu fdjk;k	0-588
6-	lEeyu ¼tMko½ tulquokb	07-638
7-	dk;ky; o edku fdjk;k	04-304
8-	LV'kujh	0-250
9-	lekpkj i=] if=dk, vkfn	0-089
10-	dk;ky; 0;;	0-574
11-	foKkiu ,o ipkj&ilkj	18-740
12-	okf"kd ifronu	04-320
13-	idk'ku	7-751
14-	vuj{k.k dk;@y?k fuek.k	0-373
15-	e'khu midj.k	0-264
16-	vU; vkdfLed 0;;	0-120
17-	vU; 0;;	0-095
	dqy 0;;	**73-858-00**

v/;k;& 6

¼v½ jkT; 'kklu dh vuqlwph esa lfEefyr vU; fiNM+k oxZ dh tkfr;ksa dh v|ru lwph %&

क्र.	नाम जाति / उपजाति / वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव यादव, बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी ग्वारी, रावत, गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल, राउत, महकुल, गोप, ग्वाली, लिंगायत, गोपाल, यादव, राऊत, ग्वाला , **गहिरा, गौली**	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करने वाली जाति. पशुपालन दुग्ध विक्रय तथा जजमानी प्रथा के अंतर्गत गाय, बैल, भैस आदि पशु चराना. पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय करने वाली जाति. पशुपालन, दुग्ध विक्रय एवं गाय, बैल, भैस आदि पशु चराना.	"यादव" अहीर जाति की उपजाति के रूप में शामिल की गई है अधिकांश अहीर व उसकी उपजातियां अपने यादव कहती है व लिखती है। ब्राम्हण रावत तथा राजपूत रावत शामिल नही है। इसमें यादव राजपूत शामिल नहीं है। इसमें ब्राम्हण राऊत एवं राजपूत राऊत शामिल नहीं है।
2.	असारा, असाड़ा	कृषि कार्य	–
3.	बैरागी, वैष्णव, थनापति	धार्मिक भिक्षावृति करने वाली जाति.	वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है ब्राम्हण जाति के बैरागी शामिल नहीं किये गये है।
4.	बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा, धरिया, लभाना, लबाना लामने	घुम्मकड़ बैलों को होककर व्यवसाय करने वाली जाति	नायक को बंजारा जाति की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है नायक ब्राम्हाण शामिल नहीं है ।
5.	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई, चौरसिया	पान उत्पादन व विक्रेता	बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते है।
6.	बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा)	कृषि कार्य हेतु लकड़ी के औजार बनाना, लकड़ी का फर्नीचर तैयार करना.	विश्वकर्मा को बढ़ई की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है।
7.	बारी	पत्तों से पत्तल बनाने वाली जाति	–
8.	वसुदेव, वसुदेवा, वासुदेव, वासुदेवा, हरबोला, कापड़िया कापड़ी, गोंधली, थारवार	विरूदावली गाना एवं बैल भैंसों का व्यापार करना व धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस क्रमांक में वसुदेव जाति की सभी उपजातियों को शामिल किया गया है।
9.	भड़भूंजा, भुंजवा, भुर्जी, धुरी या धूरी	चना, लाई, ज्वार इत्यादि खाद्यान्न का भाड़ में भूंजना.	इसमें वैश्य जाति से अपने को संबंद्ध करने वाली जाति शामिल नहीं है।
10.	भाट, चारण, सुतिया, सालवी, राव जनमालोंधी, जसोंधी, मरूसोनिया	राजा के सम्मान में प्रशंसात्तमक कविता–पाठ व विरूदावली का गायन करना.	–
11.	छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर निराली, रंगारी, मनधाव	कपड़ो में छपाई व रंगाई	–
12.	ढीमर, भोई कहार, कहरा, धीवर / मल्लाह, नावड़ा / तुरहा, केवट, कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम, केंवट, कीर, ब्रितिया वित्तिया, सिंगरहा, जालारी, जालारनलु (बस्तर जिलें में), सोधिंया,	मछली पकड़ना, पालकी ढ ोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल गट्आ उगाना पानी भरना, नाव चलाना	बाथम, कश्यप, रायकवार गोपाल की उपजाति है इसी रूप मे सम्मिलित किया गया है। जालारी, जलारनलू बस्तर जिले में पाई जाती है।
13.	पंवार, पोवार, भोयर, भोयार	कृषि एवं कृषि मजदूरी	इसमें पंवार / पवार राजपूत शामिल नहीं है
14.	भुर्तिया, भुतिया, भोरथिया, भोरतिया	पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय	–
15.	भोपा, मानभाव	धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस जाति का वह समुदाय जो गैर ब्राम्हाण है सूची में शामिल किया गया है।
16.	भटियारा, हलवाई, गुरिया	भट्टी लगाकर सार्वजनिक उपयोग के लिए खाद्य पदार्थ तैयार करना है।	–
17.	चुनकर, चुनगर, कुलवंधया, राजगीर	चूना, गारा का कार्य करने व भवन निर्माण इत्यादि में कारीगरी का कार्य करना.	
18.	चितारी	दीवालों पर चित्रकारी करना.	
19.	दर्जी, छीपी, छिपी, शिपी, मावी (नामदेव)	कपड़ा सिलाई करना	
20.	धोबी, बट्ठी, बरेठा, रजक, बरेठ	कपड़ा साफ करना	–
21.	मीना (रावत) देशवाली, मेवाती, मीणा	कृषक	रावत मीना जाति की उपजाति है जो ब्राम्हाण नहीं है।
22.	किरार, किराड़, धाकड़	कृषक	राजपूत इसमें शामिल नहीं है।

23.	गडरिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकार, हाटकार, गाड़री, धारिया, धोषी, गड़रिया गारी, गायरी, पाल, बघेले, गड़ेरी	भेड़ बकरी पालना	गड़रिया जाति व उसकी उपजातियां को पाल व बघेले गड़रिया जाति की उपजाति के रूप में शामिल किये गये है बघेल राजपूत पिछड़ी जाति मे शामिल नहीं है।
24.	कड़ेरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोडार	कपास की रूई धुनकरन का कार्य कराना कडेरे आतिशवाजी बनाने का कार्य भी करते है।	—
25.	कोष्टा, कोष्टी, देवांगन, कोष्टा, माला पद्मशाली, साली, सुतसाली, सलेवार सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोश्काटी, लिंगायत, गढ़वाल, गढ़ेवाल, गरेवार, गरावर, डुकर, कोल्हाटी	बुनकर	इस समूह में सम्मिलित डुकर कोल्हाटी कर्तव्य व कसरत का प्रदर्शन करते है।
26.	धोली / डफली / डफानी / ढोली, दमानी, गुरव	गांव पुरोहित का कार्य शिवमंदिरों में पूजा व उपजातियां ढोल बजाने का कार्य करती है।	इस समूह में ब्राम्हाण समूह शामिल नहीं है।
27.	गुसाई, गोस्वामी, गोसाई	धार्मिक, भिक्षावृत्ति, मंदिरों में महंती .	ब्राम्हाण जाति से संबंधित कहने वाले लोग इस समूह में सम्मिलित नहीं है।
28.	गूजर (गुर्जर)	कृषक, पशुपालन.	राजपूत व क्षत्रिय कहलोने वो सम्मिलित नहीं है।
29.	लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, हुंगा लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा)	लोहे के औजार बनाने का कार्य करना.	विश्वकर्मा में ब्राम्हाण वर्ग सम्मिलित नहीं है।
30.	गारपगारी, नाथ–जोगी, जोगीनाथ, हरिदास, नाथयोगी	गारपागारा ओलावृष्टि की सेक करने फसल की रक्षा का कार्य करते है। जोगी व इस समूह की अन्य जातियों धार्मिक भिक्षावृत्ति का व यवसाय करते है.	"जोगी" धार्मिक भिक्षावृत्ति करते है लेकिन इस समूह में जो ब्राम्हाण हैं वे शामिल नहीं है।
31.	घोषी	भैंस पालन व पशुपालन.	इसमें राजपूत क्षत्रिय शामिल नहीं है।
32.	सोनार, सुनार, झाणी, झाड़ी, स्वर्णकार, अवधिया, औधिया, सोनी	स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण उगढ़ने व बनाने का कार्य करना.	इस समूह में सोना–चांदी के व्यापारी वर्ग या ज्वेल्र्स सम्मिलित नहीं है।
33.	(अ) काछी कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, कोयरी या कोइरी, पनारा, मुराई, सोनकर, कोईर (ब) माली, सैनी, मरार, पटैल, हरदिहा, मरार	शाक–सब्जी उत्पादन व साक–सब्जी तथा फुल उत्पादन व बागवानी.	"कुशवाहा" काछी कोयरी व कोईरी जाति की उपजाति है, काछी जाति की शाक्य व मौर्य भी उपजातियों है कुशवाह राजपूत इसमें शामिल नहीं है। गाँव के मुखिया, पटेल पद तथा अघरिया–धाकड़ आदि अन्य जाति, जो पटेल उपनाम लिखते हैं शामिल नहीं है।
34.	जोशी, भड्डारी, डकोचा, डकोता, **भटरी, भडरी, भठरी**	ज्योतिष का व्यवसाय व शनि का दान लेना.	शनिदेव के नाम पर भिक्षावृत्ति व मृत्यु दान लेना, जोशी जाति के लोग करते ह। जोशी ब्राम्हाण इसमें शामिल नहीं है।
35.	लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर	लाख का कार्य करना कांच की चूडियां बेचना.	—
36.	ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया, कसेर	तांबा पीतल, व कांसा के बर्तन बनाना.	—
37.	खातिया, खाटिया, खाती	कृषक.	—
38.	कुम्हार, प्रजापति, कुंभार,	मिट्टी के बर्तन बनाना.	—
39.	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी, कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चंद्रनाहू, कुंभी, गवैल, गमैल, सिरवी, कुन्बी, चंदनाहू, चन्नाहू, गबेल, **कुन्वी, कुनवी**	कृषक, कृषि मजदूरी.	—
40.	कमरिया	पशुपालन व दुग्ध विक्रेता.	—
41.	कौरव, कांवरे	कृषक.	—
42.	कलार, जायसवाल, कलाल, डडसेना, **कलवार**	मंदिरा (शराब) बेचना.	—
43.	कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा	कृषक.	—
44.	लोनिया, लुनिया, औड़, ओडे, ओड़िया, नौनिया, मुरहा, गुराहा, गुड़हा, गुड़ाहा, नुनिया, नोनिया	नमक बनाना व साफ करना मिट्टी खोदना.	—
45.	नाई, सेन, सविता, श्रीवास, म्हाली, नाव्ही, उसरेटे	बाल बनाना, विवाह शादी में संस्कार सम्पन्न कराना.	सेन, सविता, श्रीवास, उसरेटे, नाई की उपजातियों के रूप में सम्मिलित की गई है।

46.	नायटा, नायड़ा	लघु कृषक, कृषि मजदूरी.	–
47.	पनका, पनिका	मजदूरी करना गांव की चौकीदारी करना, बुनकर.	–
48.	पटका, पटकी, पटवा	सिल्क के धागे कपड़े व सूत बनाना.	जैन धर्म के लोगो को छोड़कर
49.	लोधी, लोधा, लोध	कृषक	–
50.	सिकलीगर	शस्त्र सुफाई लोहे के औजारों की धार तेज करना.	–
51.	तेली, ठाठ, साहू, राठौर	तेल पेरना बेचने का व्यवसाय करना.	तेली जाति के लोग अपने को साहू व राठौर कहते है को तेली की उपजाति में सम्मिलित किया गया है राठौर राजपूत इसमें शामिल नहीं है।
52.	तुरहा, तिरवाही, बड्डर	मिट्टी खोदने का काम करना पत्थर तरासना.	–
53.	तवायफ, किसडी, कसडी	नाच–गाकर मनोरंजन करने वाले.	–
54.	वोवरिया	मजदूरी.	–
55.	रोतिया, रौतिया	जो कृषि कार्य करती है पूर्व में सैनिक वृत्ति करती थी.	सरगुजा तथा जशपुर क्षेत्र में पाई जाती है।
56.	मानकर, नहाल	जंगली जनजाति मजदूरी करना.	मानकर की उपजाति "निहाली" अनुसूचित जनजाति में शामिल है।
57.	कोटवार, कोटवाल	ग्राम चौकीदारी.	–
58.	खैरूवा	कत्था बनाना.	"खैरूवा" खैरवार की उपजाति है "खैरवार" अनुसूचित जनजाति में शामिल है।
59.	लोढ़ा, तंवर	कृषिक, मजदूरी लकड़ी बेचकर, जीवन, यापन करपा.	–
60.	मोवार, मौवार	जंगली जानवरों का शिकार व मजदूरी.	एक अधोषित आदिम जनजाति
61.	रजवार	कृषक एवं कृषि मजदूरी.	–
62.	अघरिया	कृषक एवं कृषि मजदूरी.	यह जाति अगरिया जनताति से भिन्न जाति है।
63.	तिऊर, तूरी	मछली पकड़ना व उसका व्यवसाय करना नाविक बांस एवं बेंत का सामान बनाने का कार्य करना.	
64.	भारूड़	पशुओं की देखरेख पीठ पर लदान द्वारा माल ढोना.	मुगलकाल में फौजी रसद ढोने का कार्य भी करते थे।
65.	सुत सारथी–राईस/सहीस	घोड़ो की देखरेख, घोडागाड़ी हांकना.	–
66.	तेलंगा, तिलगा	कृषि श्रमिक.	जंगली आदिम जाती जो तेलुगु भाषी है विशेषकर बस्तर जिले में पाई जाती है।
67.	राघवी	कृषि कार्य करना.	–
68.	रजभर, राजभर	कृषि मजदूरी.	–
69.	खारोल	कृषि मजदूरी.	–
70.	सारगरा	ढोल बजाना.	–
71.	गोलान, गवलान, गौलान	गाय भैंस पालना और दुध का व्यवसाय करना.	–
72.	रज्जड़ रजझड़	कृषि मजदूरी.	–
73.	जादम	कृषि मजदूरी.	–
74.	दांगी	कृषक .	"दांगी" राजपूतों को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।
75.	गयार/परधनिया	कृषि मजदूर एवं पालतू पक्षी पकड़कर बेचने वाले.	रायगढ़ जिले में अधिकतर पाये जाते हैं
76.	कुड़मी	कृषक.	–
77.	मेर	कृषि मजदूर.	–
78.	बाया महरा/कौशल, वया, बया	बुनकर.	अधिकांशत/दुर्ग जिले में निवास करते है।
79.	पिंजारा (हिन्दू)	–	–
80.	विलोपित	–	–
81.	अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म अथवा बौद्ध धर्म (नवबौद्ध) स्वीकार कर लिया है।	पेशा वही है जो धर्म परिवर्तन के पूर्व करते आ रहे है.	अनुसूचित जातियों जिन्होंने ईसाई व बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, उनको आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया गया है।
82.	आंजना	–	–
83.	धोरिया	–	–
84.	गेहलोत मेवाड़ा	–	–
85.	रेवारी	–	–
86.	रूआला/रूहेला	–	–

मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्ग / समूह				
87.	(1)	रंगरेज	कपड़ो की रंगाई	हिन्दु छीपा जाति के समान व्यवसाय
	(2)	भिश्ती	पानी भरने का काम	हिन्दुओं की कहर जाति के समान व्यवसाय
	(3)	छीपा	कपड़ो में छपाई करना	हिन्दु छीपा जाति के समान व्यवसाय
	(4)	हेला	मलमूत्र सफाई का कार्य	हिन्दु मेहतर जाति के समान व्यवसाय
	(5)	भटियारा	भोजन बनाने का कार्य	–
	(6)	धोबी	कपड़ा धोने का कार्य	हिन्दुओं की धोबी जाति के समान व्यवसाय
	(7)	मेवाती	कृषि पशुपालन कार्य के समान कार्य	हिन्दु मेवाती जाति के समान व्यवसाय
	(8)	पिंजारा, नद्दाफ, फकीर, बेहना, धुनिया, धुनकर	रूई धुनाई का कार्य	हिन्दूओं के कड़ेरा जाति के समान।
	(9)	कुंजड़ा, राईन	साग–सब्जी फल इत्यादि बेचना	हिन्दुओं की काछी जाति के समान व्यवसाय
	(10)	मनिहार, चुड़िहार	कांच की चूडियां व बिसात खाने का सामान बेचना.	हिन्दुओं की कचेर जाति के समान व्यवसाय
	(11)	कसाई, कस्साव	पशुओं का वध एवं उनका मंसा / गोश्त बेचने का कार्य	हिन्दु खटिक जाति के समान धंधा
	(12)	मिरासी	विरुदावली, यशोगान का वर्णन	हिन्दु भाट जाति की तरह पेशा
	(13)	मिरधा	चौकीदारी / रखवाली	हिन्दुओं की मिरधा की तरह व्यवसाय
	(14)	बढ़ई (कारपेन्टर)	लकड़ी का सामान एवं फर्नीचर बनाने का काम	हिन्दु बढ़ई जति के समान पेशा करने वाले
	(15)	हज्जाम (बारबर)	बाल बनाने का कार्य	हिन्दु नाई जति के समान पेशा करने वाले
	(16)	हम्माल	वजन ढोना व पल्लेदारी करना	–
	(17)	मोमिन जुलाहा (वे जुलाहे जो मोमिन हैं)	कपड़ा बुनाई का कार्य	हिन्दु कोष्टा / कोष्टा के समान पेशा
	(18)	लुहार, नागौरी	लोहे के औजार व अन्य सामान बनाना	हिन्दुओं के लुहार / लोहार जाति की तहर पेशा करने वाले
	(19)	तड़वी	कृषि कार्य	–
	(20)	बंजारा	धुमक्कड़ जाति / समूह बैल गाड़ी? से सामान ढोना तथा पशुओं को बेचने का व्यवसाय	हिन्दुओं में बंजारा जाति के सामान व्यवसाय
	(21)	मोची	चमड़े के जूते चप्पल आदि बनाना	हिन्दुओं में चमार जाति के समान व्यवसाय
	(22)	तेली, नायता, पिंडारी (पिंडारा) कांकर	कोल्हु पेरकर तेल निकालना व बेचना	हिन्दु तेली जाती के समान पेशा करने वाले
	(23)	पेमदी	पेड़ पौधों की कलम लगाने का धंधा	–
	(24)	कलईगर	बर्तनों में अन्य सामान में कलई करना	–
	(25)	नालबन्द	बैलों व घोड़ों के पैरों में नाल बांधने का कार्य	–
	(26)	शीशनगर	–	–
88	–			
89.	शौण्डिक, सुण्डी, सूड़ी एवं सोढ़ी		मदिरा बनाना एवं बेचना.	यह जाति मुख्यतः रायपुर, बस्तर, कांकेर, धमतरी, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, जशुपर, रायगढ़ जिलों में पायी जाती है।
90.	भूलिया–भोलिया, **भुलिया**		सूती कपड़ा बुनना.	–
91.	पोबिया		खेती मजदूरी.	यह जाति रायगढ़ जिले में निवास करती है।
92.	खर्रा, खडरा, खोडरा		बर्तन मरम्मत करना एवं फेरी लगाकर बर्तन बेचना.	–
93.	रौनियार, **कमलापुरी**		कृषि, पशुपालन, बैल / घोड़े पर सामान लादकर घूम–घूमकर बेचना एवं मजदूरी.	इस समूह में वैश्य शामिल नहीं है।
94.	बिंद, बींद, बिन्द, बीन्द		कुँआ, तालाब, बावली, खोदना, खेतों में गड़ढा खोदना एवं मछली पकड़ना.	जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखंड़ के नगपुरा, झपेली, बरभाठा, इमली भाठा, रामपुर एवं शनिचरा ग्राम तथा मध्यप्रदेश राज्य से लगे हुए क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करते है।
95.	झोरा		मिट्टी को धोकर सोना निकालना, कृषि, मजदूरी, मछली पकड़ना.	मख्य रूप से जशपुर जिले में निवास करते है। कुल जनसंख्या रायगढ़ जिले में निवासरत है।

¼c½¼i½Hkkjr 'kklu d dUnh; lph e lfEefyr NRrhlx< jkT; d
v-fi-o- dh tkfr;k dh lph%&

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 2010/श्रावण 27, 1932
No. 232] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 18, 2010/SHRAVANA 27, 1932

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2010

फा. सं. 12015/2/2007-बी.सी.सी.—भारत सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के का.ज्ञा. सं. 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.), दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां आरक्षित की हैं।

2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) के उपबंधों के अनुसार, अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूचियों में शामिल करने के अनुरोधों तथा अधिक शामिल करने और कम शामिल करने की शिकायतों को प्राप्त करने, जांचने और उनकी सिफारिश करने के लिए की गई थी।

3. इस संबंध में 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची को कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं.12011/68/93-बी.सी.सी. (सी), दिनांक 10 सितम्बर, 1993; सं. 12011/9/94-बी.सी.सी., दिनांक 19 अक्तूबर, 1994; सं. 12011/7/95-बी.सी.सी., दिनांक 24 मई, 1995; सं. 12011/99/94-बी.सी.सी., दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 के तहत अधिसूचित किया गया था। उपर्युक्त सूचियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया था और समय-समय पर संकल्प सं. 12011/96/94-बी.सी.सी., दिनांक 9 मार्च 1996; सं. 12011/44/96-बी.सी.सी., दिनांक 6 दिसम्बर, 1996; सं. 12011/13/97-बी.सी.सी., दिनांक 3 दिसम्बर, 1997; सं. 12011/68/98-बी.सी.सी., दिनांक 27 अक्तूबर, 1999; सं. 12011/88/98-बी.सी.सी., दिनांक 6 दिसम्बर, 1999; सं. 12011/36/99-बी.सी.सी., दिनांक 4 अप्रैल, 2000; सं. 12011/44/99-बी.सी.सी., दिनांक 21 सितम्बर, 2000; सं. 12015/9/2000-बी.सी.सी., दिनांक 6 सितम्बर, 2001; सं. 12011/1/2001-बी.सी.सी., दिनांक 19 जून, 2003; सं. 12011/4/2002-बी.सी.सी., दिनांक 13 जनवरी, 2004; सं. 12011/9/2004-बी.सी.सी., दिनांक 16 जनवरी, 2006; सं. 12011/14/2004-बी.सी.सी., दिनांक 12 मार्च, 2007; तथा सं. 12018/6/2005-बी.सी.सी., दिनांक 30 जुलाई, 2010, के तहत अधिसूचित किया गया था।

4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 6 राज्यों (छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान) एवं 1 संघ राज्य क्षेत्र (दमन और दीव) से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने अथवा संशोधन करने के लिए जाति और समुदाय (उपजातियों एवं पर्यायों सहित) की सिफारिश की है।

5. सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, उपर्युक्त राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में, परिशिष्ट में दिए गए अंतर्वेशनों/संशोधनों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ये अंतर्वेशन अथवा संशोधन इस संकल्प के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

पी. पी. मित्रा, संयुक्त सचिव

3257 GI/2010 (1)

परिशिष्ट

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल की जाने वाली प्रस्तावित जातियां/समुदायों की राज्यवार सूची को दर्शाने वाला विवरण।

(i) छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल की गई जातियां/समुदाय

नई प्रविष्टि संख्या	जाति/उप-जाति/पर्याय के नाम
1.	अहीर
	ब्रजवासी, गवली, ग्वाली, गोली, लिगांयत गाओली
	गोवारी (ग्वारी), गोवरा, गवारी, ग्वारा
	जादव, यादव, राउत, थेथवार, गोप/गोपाल
2.	असारा
3.	भड़भूजा
	भुर्जी, धुरी या धूरी
4.	बैरागी
5.	बंजारा
	क्रारिरीवाला बंजारा
	लामन बंजारा
	बमानिया बंजारा
	लमान/लम्बानी, बंजारी
	मथुरा, मथुरा लभान
	मथुरा बंजारी, नवी बंजारा
	जोगी बंजारा, नायक, नायकड़ा
	लम्बाना/लम्बारा
	लम्भानी, लभाना
	लबान, लबाना, लामने
	धूरिया
6.	बरई
	बारई
	वारी (चौरसिया)
	तमोली
	तम्बोली
	कुमावट्ट, कुमावत
7.	बढ़ई, सुतार, सुथार कुन्देर, विश्वकर्मा
8.	भारूड़
9.	भाट
	चारण (चरण्म)
	सावली, सुतिया

	राव
	जसोंधी
	मरू -सोनिया
10.	भटियारा
11.	भुरतिया
	भुतिया
12.	चिप्पा, छीपा
	भावसार
	नीलगर
	जीनगर
	निराली
	रामगढ़ी
	रंगारी
	रंगरेज
	रंगारेज
	रंग्रेज
	रंग्रेघ
	छिप्पा-सिन्धी-खत्री
13.	चितारी
14.	चुनकर
	चुनगर/चूनगर
	कुलबंधिया
	राजगीर
15.	दांगी
16.	दर्जी
	चीपी/छिपी/चिपी
	शिपी
	मावी (नामदेव)
17.	देशवाली
	मेवाती
18.	धिमर/धीमेर
	भोई
	कहार
	कहरा
	धीवर
	मल्लाह
	नावदा, नावड़ा
	तुरहा
	केवट (रेकवार, रायकवार)

	कीर
	ब्रितिया/ब्रितिया
	सोंधिया
19.	धोबी (उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां इनको अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया है)
20.	धोली
	डफाली/डुफाली
	गुरव/गुराव
21.	गडरिया
	कुरमार
	हटगर
	हटकर
	हाटकार
	गाड़री, गडारिया
	गारी
	गायरी
22.	गारपगारी
	जोगीनाथ, नाथजोगी
23.	घोषी
24.	गूजर/गुर्जर
25.	गुसाई/गोसाई/गोसाइन
	गोसेब
	गोस्वामी/गोवसामी
26.	***इस्लामी समूह***
	1. रंगरेज
	2. भिश्ती,भिस्ती - अब्बासी
	3. चिप्पा/छीपा
	4. हेला
	5. भटियारा
	6. धोबी
	7. मेवाती, मेव
	8. पिंजारा, नद्दाफ
	फकीर/फकिर
	बेहना
	धुनिया
	धुनकर
	9. कुंजरा, राईन
	10. मनिहार
	11. कसाई, कसाब, कस्साब
	करसब, करसब, कस्साब-कुरैशी

	12. मिरासी
	13. बढ़ई (कारपेंटर)
	14. हज्जाम (बारबर)
	नाई (बारबर)
	सलमानी
	15. जुलाहा - मोमिन
	जुलाहा-अंसारी
	मोमिन अंसारी
	16. लुहार
	नागौरी लुहार
	17. तड़वी
	18. बंजारा, मुकेरी, मकरानी
	19. मोची
	20. तेली
	नायता, पिंडारी (पिंडारा)
	21. कलईगर
	22. पेमदी
	23. नालबंद
	24. मिर्धा (जाट मुस्लिम को छोडकर)
27.	काछी
	(कुशवाहा/कोशवाहा मौर्य)
	कोयरी/कोइरी (कुशवाहा), शाक्या, मुराई
	पनारा/पनाहारा, सोनकर
28.	कड़ेरे/कड़ोरे
	धुनकर
	धुनिया
29.	कलार, कलाल
30	कलौता/ कोलटा/कोलता
31.	कमरिया
32	कसाबी/किसाबी
33	खारोल
34	खातिया
	खाती
35	किरार
	किराड़
	धाकर/धाकड़
36	कोष्टा/कोसटा
	कोस्ती/कोश्ती
	देवांगन

	देवांग
	सालवीदेवांग
	माला
	पदमहाली
	पदमशाली
	साली
	सुतसाली
	सलवार/सलेवार
	जेंदरा/जन्द्रा
	कोस्काटी
	गढ़वाल
	गढ़ेवाल
	गरेवार
37.	कोटवार/कुटवार
	कोतवाल
38.	कुम्हार (प्रजापति)
	कुम्भार
39.	कुरमार/कुरामी/कुर्मी, कुनबी, कुर्मी पाटीदार, कुलामी, कुल्मी, कुलम्बी, गवैल, गाभैल
40.	लखेरा/लखेर, कचेरा/कचेर
41.	लोधी
	लोधा
	लोध
42.	लोहार
	लुहार
	लोहपीटा
	गड़ोले
	गड़ेला
	लोहपटा, लोहपेटा
	विश्वकर्मा
43	लोनिया/लुनिया/लोनिआ/लुनिआ
	ओध, ओधे, ओधिया, ओडे,
	ओडिया, नानिया, मुरहा
	मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा, नुनिया, नोनिया
44.	माली (सैनी), मरार
45.	मानकर
46.	मेरू, मेर
47.	नाई (सेन, सविता, श्रीवास), म्हाली, नाव्ही/नावी
48.	नायटा, नायडा
49.	पनिका

50.	पटका
	पटकी
	पटवा
51.	पिंजारा (हिन्दू)
52.	पवार
	भोयर/भोयार
53.	राघवी/राघावी
54.	राजवार
55.	रौतिया, रोतिया
56.	सैईस, सहीस
	साईस
57.	अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है।
58.	सिकलीगर
59.	सोढ़ी
	सुदी
	सुण्डी
60.	सुनार, स्वर्णकार
	झारी, झाड़ी
	अवधिया
	औधिया
61.	तरहा
	तिरवाली
	वड्डार
62.	तेली (राठौर, साहू)
63	ठठेरा, ठटेरा
	कसार
	कसेरा
	तमेरा
	तम्बटकर/ताम्रकार
	तमेर
64.	वसुदेव
	बासुदेवा
	बसुदेव
	वासुदेवा
	हरबोला
	कापड़िया
	कापड़ी
	गोंधली

Appendix

STATEMENT SHOWING STATE-WISE LISTS OF CASTES/COMMUNITIES TO BE NOTIFIED IN THE CENTRAL LIST OF OBCs

(i) Following caste/community of Chhatisgarh in the Central List of OBCs

New Entry No.	Name of Caste /sub castes/synonyms, etc.
1.	Ahir
	Brajwasi, Gawli, Gawali, Goli, Lingayat-Gaoli, Gowari
	(Gwari), Gowra, Gawari, Gwara,
	Jadav, Yadav, Raut, Thethwar, Gop/Gopal.
2.	Asara
3.	Badhbhuja,
	Bhurji, Dhuri or Dhoori
4.	Bairagi
5.	Banjara
	Kachiriwala Banjara
	Laman Banjara,
	Bamania Banjara
	Laman/Lambani,Banjari
	Mathura, Mathura Labhan,
	Mathura Banjari,Navi Banjara,
	Jogi Banjara, Nayak, Naykada
	Lambana/Lambara
	Lambhani,Labhana
	Laban,Labana,Lamne,
	Dhuriya
6.	Barai
	Waarai
	Wari (Chaurasia)
	Tamoli
	Tamboli
	Kumavatt,Kumavat
7.	Barhai,Sutar,Suthar, Kunder,Vishwakarma
8.	Bharood
9.	Bhat
	Charan (Charahm)
	Sawli,Sutiya
	Rav
	Jasondhi
	Maru-Sonia
10.	Bhatiyara
11.	Bhurtiya
	Bhutiya

12.	Chippa,Chhipa
	Bhavsar
	Nilgar
	Jingar
	Nirali
	Ramgari
	Rangari
	Rangrez
	Rangarej
	Rangraz
	Rangredh
	Chippa-Sindhi-Khatri
13.	Chitari
14.	Chunkar
	Chungar/Choongar
	Kulbandhiya
	Rajgir
15.	Dangi
16.	Darji
	Cheepi/Chhipi/Chipi
	Shipi
	Mavi (Namdev)
17.	Deshwali
	Mewati
18.	Dhimar/Dhimer
	Bhoi,
	Kahar,
	Kahra
	Dhiwar
	Mallah
	Nawda,Navda
	Turaha
	Kewat (Rackwar, Raikwar)
	Kir
	Britiya/Vritiya
	Sondhiya
19.	Dhobi (excluding the area where they are listed as Scheduled Castes)
20.	Dholi
	Dafaali/Dufali

3257 GI/2010—3

	Gurav/Guraw
21.	Gadariya
	Kurmar
	Hatgar
	Hatkar
	Haatkaar
	Gaadri, Gadaria
	Gari,
	Gayari
22.	Garpagari
	Joginath, Nathjogi
23.	Ghoshi
24.	Goojar/Gurjar
25.	Gusai/Gosai/Gosain
	Gosaib
	Goswami/Gowsami
26.	Islamic Groups:
	1. Rangrej
	2. Bhishti,Bhishti-Abbasi
	3. Chippa/Chhipa
	4. Hela
	5. Bhatiyara
	6. Dhobi
	7. Mewati,Meo
	8. Pinjara,Naddaf, Fakir/Faquir, Behna, Dhunia, Dhunkar,
	9. Kunjara,Raine
	10. Manihar
	11. Kasai,Kasab,Kassab, Quasab,Qassab,Qassab-Qureshi
	12. Mirasi
	13. Barhai (Carpenter)
	14. Hajjam (Barber), Nai (Barber), Salmani
	15. Julaha-Momin, Julaha-Ansari , Momin-Ansari
	16. Luhar, Nagauri Luhar
	17. Tadavi
	18. Banjara, Mukeri, Makrani
	19. Mochi
	20. Teli Nayata, Pindari (Pindara)
	21. Kalaigar
	22. Pemdi

	23. Nalband
	24. Mirdha (Excluding Jat Muslims)
27.	Kachhi (Kushwaha/Koshwaha Maurya)
	Koyari/Koiri (Kushwaha), Shakya, Murai,
	Panara/Panahara, Sonkar
28.	Kadere/Kadore
	Dhunkar,
	Dhuniya
29.	Kalar, Kalal
30.	Kalota/Kolta/Koltta
31.	Karmariya
32.	Kasabi/Kisbi
33.	Kharol
34.	Khatiya
	Khati
35.	Kirar
	Kirad
	Dhakar/Dhakad
36.	Koshta/Kosta,
	Kosti / Koshti
	Devangan
	Dewang
	Salwidewang
	Mala,
	Padamhali,
	Pademsali
	Sali
	Sutsali
	Salwar/Salewar
	Jendra/Jandra
	Koskati
	Garhwal
	Garhewal
	Garewar
37.	Kotwar/Kutwar
	Kotwal
38.	Kumhar (Prajapati)
	Kumbhar
39.	Kurmar/Kurami/Kurmi, Kunbi, Kurmi Patidar, Kulami, Kulmi, Kulambi, Gavel/Gabhel.

(ब) भारत शासन के केन्द्रीय सूची में सम्मिलित छत्तीसगढ़ राज्य के अ.पि.व. की जातियां/समुदाय:-

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 2010/श्रावण 27, 1932
No. 232] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 18, 2010/SHRAVANA 27, 1932

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2010

फा. सं. 12015/2/2007-बी.सी.सी.—भारत सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के का.ज्ञा. सं. 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.), दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां आरक्षित की हैं ।

2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993(1993 का 27) के उपबंधों के अनुसार, अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूचियों में शामिल करने के अनुरोधों तथा अधिक शामिल करने और कम शामिल करने की शिकायतों को प्राप्त करने, जांचने और उनकी सिफारिश करने के लिए की गई थी ।

3. इस संबंध में 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची को कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं.12011/68/93-बी.सी.सी. (सी), दिनांक 10 सितम्बर, 1993; सं. 12011/9/94-बी.सी.सी., दिनांक 19 अक्तूबर, 1994; सं. 12011/7/95-बी.सी.सी., दिनांक 24 मई, 1995; सं. 12011/99/94-बी.सी.सी., दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 के तहत अधिसूचित किया गया था । उपर्युक्त सूचियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया था और समय-समय पर संकल्प सं. 12011/96/94-बी.सी.सी., दिनांक 9 मार्च 1996; सं. 12011/44/96-बी.सी.सी., दिनांक 6 दिसम्बर, 1996; सं. 12011/13/97-बी.सी.सी., दिनांक 3 दिसम्बर, 1997; सं. 12011/68/98-बी.सी.सी., दिनांक 27 अक्तूबर, 1999; सं. 12011/88/98-बी.सी.सी., दिनांक 6 दिसम्बर, 1999; सं. 12011/36/99-बी.सी.सी., दिनांक 4 अप्रैल, 2000; सं. 12011/44/99-बी.सी.सी., दिनांक 21 सितम्बर, 2000; सं. 12015/9/2000-बी.सी.सी., दिनांक 6 सितम्बर, 2001; सं. 12011/1/2001-बी.सी.सी., दिनांक 19 जून, 2003; सं. 12011/4/2002-बी.सी.सी., दिनांक 13 जनवरी, 2004; सं. 12011/9/2004-बी.सी.सी., दिनांक 16 जनवरी, 2006; सं. 12011/14/2004-बी.सी.सी., दिनांक 12 मार्च, 2007; तथा सं. 12018/6/2005-बी.सी.सी., दिनांक 30 जुलाई, 2010, के तहत अधिसूचित किया गया था ।

4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 6 राज्यों (छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान) एवं 1 संघ राज्य क्षेत्र (दमन और दीव) से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने अथवा संशोधन करने के लिए जाति और समुदाय (उपजातियों एवं पर्यायों सहित) की सिफारिश की है ।

5. सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है । तद्नुसार, उपर्युक्त राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में, परिशिष्ट में दिए गए अंतर्वेशनों/संशोधनों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है । ये अंतर्वेशन अथवा संशोधन इस संकल्प के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

पी. पी. मित्रा, संयुक्त सचिव

	Kasar
	Kasera
	Tamera
	Tambatkar/Tamrakar
	Tamer
64.	Vasudev
	Basudeva,
	Basudev
	Vasudeva
	Harvola
	Kapdia
	Kapdi
	Gondhli

¼c½¼ii½Hkkjr 'kklu d dUnh; lph e lfEefyr NRrhlx< jkT; d v-fi- o- dh tkfr;k dh leko'ku ¼l'kk/ku mijkr½%&

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2011/अग्रहायण 17, 1933

No. 257] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2011/AGRAHAYANA 17, 1933

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2011

फा. सं. 12015/13/2010-बी.सी. II.— जबकि मंडल आयोग की रिपोर्ट में दोनों सूचियों में शामिल जातियों और समुदायों को समाहित करके अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची और 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची को *अनुबंध-I* में यथा निर्दिष्ट कल्याण मंत्रालय के संकल्पों के तहत अधिसूचित किया गया था;

और जबकि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (इसके बाद एनसीबीसी के रूप में संदर्भित) का गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था और इसे नागरिकों के किसी वर्ग को सूचियों में पिछड़ा वर्ग के रूप में शामिल करने संबंधी अनुरोध की जांच करने और ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन एवं अल्प समावेशन की शिकायतों को सुनने तथा केन्द्रीय सरकार को सलाह देने, जैसा उपयुक्त हो, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं;

और जबकि, उक्त केन्द्रीय सूची को एनसीबीसी की सिफारिशों पर संशोधित किया गया था और *अनुबंध-II* में यथानिर्दिष्ट संकल्प के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया था;

और जबकि, एनसीबीसी ने सोलह राज्यों नामशः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल तथा चार संघ राज्य क्षेत्रों नामशः अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी के संबंध में उक्त केन्द्रीय सूचियों में समावेशन या संशोधन के लिए जातियों एवं समुदायों (उप जातियों एवं उनके पर्याय) की आगे सिफारिश की है;

असम

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
18. शून्य	*18. कोच-राजबोंशी**

* एनसीबीसी की सलाह पर 03.04.1997 से "कोच-राजबोंशी" जाति/समुदाय के पुनः स्थापन के बाद (उस अवधि को छोड़कर जब "कोच-राजबोंशी" जाति/समुदाय के अनुसूचित जाति की सूची में समावेशन के बारे में अध्यादेश लागू था) से प्रविष्टि

छत्तीसगढ़

विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
3. भडभूजा, भुर्जी, धुरी या धूरी	3. भडभूजा, *भुंजवा,* भुर्जी, धुरी या धूरी
21. गडरिया	21. गडरिया, *धनगर*
कुरमार	कुरमार
हटगर	हटगर
हटकर	हटकर
हाटकार	हाटकार
गाड़री, गडारिया	गाड़री, गडारिया
गारी,	गारी
गायरी	गायरी , *धारिया, धोसी (गडरिया) , गडरिया (पाल बाघले)*
26. (8) पिंजारा, नद्दाफ, फकीर/फकिर, बेहना, धुनिया, धुनकर	26.(8) पिंजारा, नद्दाफ, फकीर/फकिर, बेहना, धुनिया, धुनकर, *मंसूरी*
26 (16) लुहार, नागौरी लुहार	26 (16) लुहार, नागौरी लुहार, *सैफी, मुल्तानी लुहार*
विद्यमान प्रविष्टि	**नई प्रविष्टि**
26. (25) शून्य	*26 (25) नियारगर, नियारगर – मुल्तानी, नियारिया*
26 (26) शून्य	*26 (26) गद्दी*
विद्यमान प्रविष्टि	**संशोधित प्रविष्टि**
28 कड़ेरे/कड़ोरे, धुनकर, धुनिया	28 कड़ेरे/कड़ोरे, धुनकर, धुनिया, *धनका*
29. कलार, कलाल	29. कलार, कलाल, *डुडसेना*
34. खातिया, खाती	34. खातिया, खाती, *खाथिया*
39. कुरमार/कुरामी/कुर्मी, कुनबी, कुर्मी पाटीदार, कुलामी, कुल्मी, कुलम्बी, गवैल/गाभैल	39. कुरमार/कुरामी/कुर्मी, कुनबी, कुर्मी पाटीदार, कुलामी, कुल्मी, कुलम्बी, गवैल/गाभैल, *कुर्मवंशी, चन्द्रकार, चन्द्र नाहू, कुम्भी गावेल (गाभेल), सिर्वी*
42. लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, गड़ेला, लोहपटा, लोहपेटा, विश्वकर्मा	42. लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, गड़ेला, लोहपटा, लोहपेटा, विश्वकर्मा, *ढुंगा लोहार, गरोला, लोहार (विश्वकर्मा)*
49. पनिका	49. पनिका, *पंका*
51. पिंजारा (हिन्दू)	51. पिंजारा (हिन्दू), *पिंजारा (हिन्दू केसरिया/कोसारिया)*
52. पवार, भोयर/भोयार	52. पवार, भोयर/भोयार, *पंवर*
59. सोढ़ी, सुदी, सुण्डी	59. सोढ़ी, सुदी, सुण्डी, *सोंधी*
60. सुनार, स्वर्णकार, झारी, झाड़ी, अवधिया, औधिया	60. *सोनार,* सुनार, स्वर्णकार, झारी, झाड़ी, अवधिया, औधिया, *झानी, सोनी (स्वर्णकार)*

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
65. शून्य	65. अघरिया
66. शून्य	66. मोवार
67. शून्य	67. नट (अनुसूचित जाति सूची में शामिल से भिन्न)

गोवा

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
17. शून्य	17. क्रिश्चियन रेंडर्स (वे व्यक्ति जो वास्तव में ताड़ी के कारोबार में संलग्न है)
18. शून्य	18. कोमरपंत
19. शून्य	19. थाकर

हिमाचल प्रदेश

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
51. शून्य	51. सैनी

झारखंड

विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
8. बढ़ई	8. बढ़ई, विश्वकर्मा
13. भाट (मुस्लिम)	13. भाट, भट्ट, भाट (मुस्लिम)
35. गंधर्व	35. गंधर्व, गंदर्भ
45. केवर्त	45. केवर्त, कोईबरत्ता
48. कमार (लोहार, कर्मकार)	48. कमार (लोहार, कर्मकार), विस्वाकर्मा
63. कुर्मी (महतो)	63. कुर्मी, कुर्मी (महतो)
72. मल्लाह (सुरहिया)	72. मल्लाह (सुरहिया), केवट मुरावरी
73. मान्गर	73. मान्गर (मागर)
76. मौरियारी	76. मौरियारी, मौरियारो, मौरियारा
79. मोमिन (मुस्लिम)	79. मोमिन (मुस्लिम), जुलाहा, अंसारी
81. नागर	81. नागर (इसमें मैथली ब्राह्मण और अन्य राज्यों के अप्रवासी नागर, जो ब्राह्मण और बनियां है, शामिल नही है)
87. नोनिया	87. नोनिया, नुनिया
89. पाल (भेड़िहार-गड़ेरी)	89. पाल (भेड़िहार-गड़ेरी), गड़ेरिया
107. सोनार	107. सोनार, सुनार
110. तमोली	110. तमोली, तम्बोली
111. तांती (ततवा)	111. तांती (ततवा), ताति, तातीन
118. यादव (ग्वाला, अहिर, गोप)	118. यादव (ग्वाला, अहिर, गोप), मेहर, सदगोप
120. शून्य	120. चिक (मुस्लिम)
विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

RESOLUTION

New Delhi, the 8th December, 2011

F. No. 12015/13/2010-BC II.—Whereas the Common Central List of Other Backward Classes (OBCs) comprising castes and communities included in both the lists in the report of the Mandal Commission and the lists of the State Governments were notified in respect of 26 States and Union territories vide Ministry of Welfare Resolutions as specified in **Annexure I**;

And whereas, the National Commission for Backward Classes (hereinafter referred to as NCBC) set up under section 3 of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993) has been empowered under sub-section (1) of section 9 of the Act to examine requests for inclusion of any class of citizens as backward class in the lists and hear complaints of over-inclusion and under-inclusion of any backward class in such lists and tender such advice to the Central Government as it deems appropriate;

And whereas, the said Central List has been modified, on the recommendations of NCBC, and notified from time to time by the Central Government vide Resolutions as specified in **Annexure II**;

And whereas, the NCBC has further recommended castes and communities (including sub-castes and their synonyms) for inclusion or amendment in the said Central Lists in respect of sixteen States, namely, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Sikkim, Tamil Nadu, Uttarakhand and West Bengal, and four Union territories, namely, Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, National Capital Territory of Delhi and Puducherry;

And whereas, the Central Government has considered and accepted the aforesaid recommendations of the NCBC, and have decided to notify modifications in the Central Lists of OBCs of the aforesaid States and Union territories;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (a) read with clause (c) of section 2 of the said Act, hereby notifies the inclusion and amendments in the said Central Lists of OBCs in respect of the aforesaid States and Union territories, as specified in the **Appendix**. These inclusions and amendments shall take effect from the date of publication of this Resolution in the Gazette.

Part B

STATE-WISE MODIFICATIONS IN THE CENTRAL LIST OF OBCs

Assam

Existing Entry	New Entry
18. Nil	18. Koch-Rajbonshi*

* The entry after restoration of caste/community 'Koch-Rajbonshi' w.e.f. 03.04.1997(except for the period when ordinance regarding inclusion of the caste/community 'Koch-Rajbonshi' in the ST list was in force) as per advice of NCBC.

Chhattisgarh

Existing Entry	**Modified Entry**
3. Badhbhuja, Bhurji, Dhuri or Dhoori	3. Badhbhuja, **Bhunjwa**, Bhurji, Dhuri or Dhoori
21. Gadariya	21. Gadariya, **Dhangar**
Kurmar	Kurmar
Hatgar	Hatgar
Hatkar	Hatkar
Haatkaar	Haatkaar
Gaadri, Gadaria	Gaadri, Gadaria
Gari	Gari
Gayari	Gayari **Dhariya, Dhosi (Gadariya), Gadariya (Pal Baghele).**
26. (8). Pinjara, Naddaf, Fakir/Faquir, Behna, Dhuniya, Dhunkar.	26. (8). Pinjara, Naddaf, Fakir/Faquir, Behna, Dhuniya, Dhunkar, **Mansoori**
26.(16). Luhar, Nagauri Luhar	26.(16). Luhar, Nagauri Luhar, **Saifi, Multani Luhar**

Existing Entry	New Entry
26.(25) Nil	26.(25) **Niyargar, Niyargar-Multani, Niyaria**
26.(26) Nil	26.(26) **Gaddi**
Existing Entry	**Modified Entry**
28. Kadere/Kadore, Dhunkar, Dhuniya	28. Kadere/Kadore, Dhunkar, Dhuniya, **Dhanka**
29. Kalar, Kalal	29. Kalar, Kalal, **Dudsena.**
34. Khatiya, Khati	34. Khatiya, Khati, **Khathiya.**
39. Kurmar/ Kurami/ Kurmi, Kunbi, Kurmi Patidar, Kulami, Kulmi, Kulambi, Gavel/ Gabhel	39. Kurmar/ Kurami/ Kurmi, Kunbi, Kurmi Patidar, Kulami, Kulmi, Kulambi, Gavel / Gabhel, **Kurmvanshi, Chandrakar, Chandra Nahu, Kumbhi Gavel (Gamel), Sirvi.**
42. Lohar, Luhar, Lohpita, Gadoley, Gadela, Lohpata, Lohpeta, Vishwakarma	42. Lohar, Luhar, Lohpita, Gadoley, Gadela, Lohpata, Lohpeta, Vishwakarma, **Hunga Lohar, Garola, Lohar(Vishwakarma).**
49. Panika	49. Panika, **Panka**
51. Pinjara (Hindu)	51. Pinjara (Hindu), **Pinjara (Hindu Kesaria/ Kosaria).**
52. Powar, Bhoyar/ Bhoyaar	52. Powar, Bhoyar/Bhoyaar, **Panwar.**
59. Sodhi, Sudi, Sundi	59. Sodhi, Sudi, Sundi, **Sondi**
60. Sunar, Swarnakar, Jhhari, Jhhadi, Awedhiya, Audhiya	60. **Sonar,** Sunar, Swarnakar, Jhhari, Jhhadi, Awedhiya, Audhiya, **Jhhani,** Soni **(Swarnkar).**

Existing Entry	New Entry
65. Nil	65. Agharia
66. Nil	66. Mowar
67. Nil	67. Nat (other than those included in the SC List)

Goa

Existing Entry	New Entry
17.Nil	17. Christian Renders (who are actually in the profession of toddy tapping)
18. Nil	18. Komarpant
19. Nil	19. Thakar

Himachal Pradesh

Existing Entry	New Entry
51. Nil	51. Saini

Jharkhand

Existing Entry	Modified Entry
8. Barhai	8. Barhai, Viswakarma
13 Bhat (Muslim)	13 Bhat, Bhatt, Bhat (Muslim)
35. Gandharb	35. Gandharb, Gandarbh
45 Kaivartta	45 Kaivartta, Kaibartta

4457 GI/11—3A

v/;k;& 7

vk;kx dh lLrfr ,o miyfC/k;k¡&

¼v½ vk;kx dh lLrfr

N-x- jkT; fiNM+k oxZ vk;ksx }kjk iznRr f'kdk;rksa@tkfr;ksa ds vkosnu ds fujkdj.k ds lkFk gh lkFk vk;ksx ds vf/kfu;e dh /kkjk 9 ¼1½ ds rgr iznRr dk;ksZ ds fu"iknu gsrq fiNMs oxksZ ds lj{k.k ,o fgrkFkZ lkekftd vkfFkZd fodkl ds fy, ijke'kZ fo"k;d vuq'kalk djrs gq, vuds izkI fd;s x;s ftlds fooj.k vxzgS%&

vk;kx dks iznRr tkfr 'kkfey djus lEca/kh vkonuks ij dk;Zokgh mijkar LFkkfir tkfr;k¡&

1- <u>dyokj tkfr</u> %& vk;kx d le{k dyokj tkfr dk N-x- jkT; dh vU; fiNMk ox dh lph d vuØekd 42 e 'kkfey dju d lc/k e vkonu iLrr fd;k x;k Fkk ftl ij vk;kx }kjk dk;okgh djr g, iLrr vfHky[kk ij eku- v/;{k egkn; ,o vk;kx dh Vhe }kjk fnukd 12-06-2013 dk ljxtk] ljtij] cyjkeij ,o dkfj;k ftyk e dyokj lekt d xkeh.k {k=k dk Hke.k dj tu luokbZ dh ,o eku- v/;{k egkn; }kjk dyokj lekt dk vU; fiNMk ox dh lph e vuØekd 42 e vfdr dykj ¼tk; loky½ dyky] MMluk d mijkr LFkkfir fd; tku lc/kh ifronu iLrr fd;k x;k cBd e iLrr ifronu ij vk;kx d eku- lnL;x.kk }kjk lolEefr l N-x- jkT; dh vU; fiNMk ox dh lph e vuØekd 42 e dykj ¼tk; loky½ dyky] MMluk d mijkr ^^dyokj** tkfr dk LFkkfir fd; tku dh vu'kalk dh x;hA vk;kx }kjk lfpo] N-x- 'kklu] vkfne tkfr rFkk vulfpr tkfr fodkl foHkkx] e=ky;] egkunh Hkou u;k jk;ij dk if"kr i= Ø- 1670@tkfr@fi-o-vk- jk;ij] fnukd 20-09-2013 d ifjif{; e N-x- 'kklu] vkfne tkfr rFkk vulfpr tkfr fodkl foHkkx] e=ky;] egkunh Hkou u;k jk;ij dk vf/klpuk Ø-@,Q 19&16@2014@25&2 fnukd 13-10-2014 dk vuØekd 42 e dykj] tk; loky] dyky] MMluk d mijkr ^^dyokj** dk LFkkfir fd;k x;kA

2- <u>deykijh tkfr</u> %& deykijh tkfr d lekt ie[kk }kjk N-x- jkT; dh vU; fiNMk ox dh lph e deykijh tkfr dk 'kkfey dju d lc/k e vkonu iLrr fd;k x;kA vk;kx }kjk dk;okgh djr g, iLrr vfHky[kk ij eku- v/;{k egkn; ,o vk;kx dh Vhe }kjk ljxtk] ljtij] cyjkeij ,o dkfj;k fty deykijh lekt d xkeh.k {k=k dk Hke.k dj tu luokbZ dh x;h ,o eku- v/;{k egkn; }kjk deykijh lekt dk vU; fiNMk ox dh lph LFkkfir fd; tku lc/kh ifronu iLrr fd;k x;k cBd e iLrr ifronu ij vk;kx d eku- lnL;x.kk }kjk lolEefr l N-x- jkT; dh vU; fiNMk ox dh lph e vuØekd 93 e jkfu;kj d mijkr ^^deykijh^^ tkfr dk LFkkfir fd; tku dh vu'kalk dh x;hA lfpo] N-x- 'kklu] vkfne tkfr rFkk vulfpr tkfr fodkl foHkkx] e=ky;] egkunh Hkou u;k jk;ij dk if"kr i= Ø- 1658@tkfr@fi-o-vk- jk;ij] fnukd 20-09-2013 d ifjif{; e N-x- 'kklu] vkfne tkfr rFkk

vu lfpr tkfr fodkl foHkkx] e=ky;] egkunh Hkou u;k jk;ij dk vf/klpuk Ø-@,Q 19&16@2014@25&2 fnukd 13-10-2014 dk vuØekd 93 e jkfu;kj d mijkr ^^deykijh** dk LFkkfir fd;k x;kA

3- HkVjh] HkMjh] HkBjh tkfr %& HkVjh] HkMjh] HkBjh tkfr d lekt ie[kk }kjk o"k 2012&13 e N-x- jkT; d vU; fiNMk ox dh lph e 'kkfey gku gr vkonu fn;k x;k gA iLrr vkonu ,o vfHky[kk dk v/;;u@vu l/kku fd;k x;kA eku- InL; Jh igykn jtd egkn; }kjk HkVjh] HkMjh] HkBjh lekt dk vU; fiNMk ox dh lph e vuØekd 34 e vfdr tk'kh ¼HkMMjh½ Mdkpk] Mdkrk d mijkr LFkkfir fd; tku lc/kh ifronu iLrr fd;k x;k gA cBd e iLrr ifronu ij vk;kx d eku- InL;x.kk }kjk lolEefr l N-x- jkT; dh vU; fiNMk ox dh lph e vuØekd 34 e tk'kh ¼HkMMjh½ Mdkpk] Mdkrk d mijkr ^^HkVjh] HkMjh] HkBjh** tkfr dk LFkkfir fd; tku dh vu'kLk dh x;hA lfpo] N-x- 'kklu] vkfne tkfr rFkk vu lfpr tkfr fodkl foHkkx] e=ky;] egkunh Hkou u;k jk;ij dk if"kr i= Ø-1672@tkfr@fi-o-vk- jk;ij] fnukd 20-09-2013 d ifjis{; e N-x- 'kklu] vkfne tkfr rFkk vu lfpr tkfr fodkl foHkkx] e=ky;] egkunh Hkou u;k jk;ij dk vf/klpuk Ø-@,Q 19&16@2014@25&2 fnukd 13-10-2014 dk vuØekd 34 e tk'kh] HkMMjh] Mdkpk] Mdkrk d mijkr ^^HkVjh] HkMjh] HkBjh** dk LFkkfir fd;k x;kA

4- xfgjk tkfr %& xfgjk tkfr d lekt ie[kk }kjk N-x- jkT; d vU; fiNM ox dh lph Ø- 01 e 'kkfey dju d lc/k e vkonu iLrr fd;k x;k gA ft l ij vk;kx }kjk dk;okgh djr g, iLrr vfHky[kk ij eku- InL; noUn tk; loky }kjk jktuknxko] jk;ij] nx ,o /kerjh fty e fuokljr xfgjk lekt d xkeh.k {k=k dk Hke.k dj tuluokb dh ,o eku- InL; egkn; }kjk xfgjk tkfr dk vU; fiNMk ox dh lph e vuØekd 01 e vfdr xkiky] ;kno] jkor] Xokyk d mijkr LFkkfir fd; tku lc/kh ifronu iLrr fd;k x;k gA cBd e iLrr ifronu ij vk;kx d eku- v/;{k ,o InL;x.kk }kjk lolEefr l N-x- jkT; dh vU; fiNMk ox dh lph e vuØekd 01 e xkiky] ;kno] jkor] Xokyk d mijkr ^^xfgjk** LFkkfir fd; tku dh vu'kLk dh x;hA lfpo] N-x- 'kklu] vkfne tkfr rFkk vu lfpr tkfr fodkl foHkkx] e=ky;] egkunh Hkou u;k jk;ij dk if"kr i= Ø- 1676@tkfr@fi-o-vk- jk;ij] fnukd 20-09-2013 d ifjis{; e N-x- 'kklu] vkfne tkfr rFkk vu lfpr tkfr fodkl foHkkx] e=ky;] egkunh Hkou u;k jk;ij dk vf/klpuk Ø-@,Q 19&16@2014@25&2 fnukd 13-10-2014 dk vuØekd 01 e e xkiky] ;kno] jkor] Xokyk d mijkr ^^xfgjk** dk LFkkfir fd;k x;kA

5- xkyh tkfr %& xkyh tkfr d lekt ie[kk }kjk N-x- jkT; d vU; fiNM ox dh lph e Ø- 01 'kkfey dju d lc/k e vkonu iLrr fd;k x;k gA vk;kx }kjk vkonu ij dk;okgh djr g, iLrr vfHky[kk ij eku- InL; Jh f'ko pUnkdj }kjk jktuknxko fty fofHkUu fodkl[kMk e xkyh lekt d xkeh.k {k=k dk Hke.k dj tuluokb dh ,o eku- InL; egkn; }kjk xkyh lekt dk vU; fiNMk ox dh lph e vuØekd 01 e vfdr xkiky] ;kno] jkor] Xokyk d mijkr LFkkfir fd; tku lc/kh ifronu iLrr fd;k x;k gA cBd e iLrr ifronu ij vk;kx d eku- v/;{k ,o InL;x.kk }kjk lolEefr l N-x- jkT; dh vU; fiNMk ox dh lph e vuØekd 01 e xkiky] ;kno] jkor] Xokyk d mijkr ^^xkyh** LFkkfir fd; tku dh vu'kLk dh x;hA lfpo] N-x- 'kklu] vkfne tkfr rFkk vu lfpr tkfr fodkl foHkkx]

e=ky;] egkunh Hkou u;k jk;ij dk if"kr i= Ø- 1674@tkfr@fi-o-vk- jk;ij] fnukd 20-09-2013 d ifji{; e N-x- 'kklu] vkfne tkfr rFkk vulfpr tkfr fodkl foHkkx] e=ky;] egkunh Hkou u;k jk;ij dk vf/klpuk Ø-@,Q 19&16@2014@25&2 fnukd 13-10-2014 dk vuØekd 01 e e xkiky] ;kno] jkor] Xokyk d mijkr ^^xkyh** dk LFkkfir fd;k x;kA

6- dUoh@duoh tkfr & NÙkhlx< jkT; fiNMk ox vk;kx e dUoh@duoh lekt }kjk tkfr d mPpkj.k lc/kh =fV l/kkju fo"k;d vkonu vk;kx d le{k iLrr fd;k x;kA vkonu dk eku- v/;{k egkn; }kjk ijh{k.k dj iLrr vfHky[k dk ifj'khyu fd;k x;k ,o cBd e ifronu iLrr fd;k x;kA cBd e duoh@duoh d lc/k e lolEefr l ;g lgefr gb fd dUoh@duoh tkfr dk vuØekd 39 e dUch@duch tkr dh mPpkj.k lc/kh =fV ekudkj djeh] djekj] duch] deh] ikVhnkj] ¼dyeh] dYeh] dyEch deo'kh] pUnkdj] pnukg dHkh] xoy] ¼xey½ flJoh] dUch] pnukg pUukg d mijkr ^dUoh@duoh^ LFkkfir fd; tku dh vu'kalk if"kr dh tkoA lfpo] N-x- 'kklu] vkfne tkfr rFkk vulfpr tkfr fodkl foHkkx] e=ky;] egkunh Hkou u;k jk;ij dk if"kr i= Ø- 1678@tkfr@fi-o-vk- jk;ij] fnukd 20-09-2013 d ifji{; e N-x- 'kklu] vkfne tkfr rFkk vulfpr tkfr fodkl foHkkx] e=ky;] egkunh Hkou u;k jk;ij dk vf/klpuk Ø-@,Q 19&16@2014@25&2 fnukd 13-10-2014 dk vuØekd 39 e e djeh] djekj] duch] deh] ikVhnkj] dyeh] dYeh] dyEch deo'kh] pUnkdj] pnukg dHkh] xoy] xey] flJoh] dUch] pnukg pUukg d mijkr ^dUoh@duoh^ dk LFkkfir fd;k x;kA

7- Hkfy;k tkfr & fiNMk ox d Hkfy;k lekt d ifrfuf/k;k }kjk ek=kRed ,o mPpkj.k lc/kh =fV l/kkju gr vk;kx e vkonu fd;k gA vkonu dk vk;kx d eku- lnL; Jh NRrj flg uk;d }kjk vkonu dk ijh{k.k dj iLrr vfHky[kk dk ifj'khyu fd;k x;kA Hkfy;k tkfr d vfHky[kk e ek=kRed =fV d dkj.k Hkfy;k fy[k tku l mPpkj.k e vrj ,o tkfr iek.k i= cuoku e vku okyh leL;k d fujkdj.k gr vkonu vk;kx e y[k fd;k gA Hkfy;k tkfr d lc/k e lolEefr l ;g lgefr gb fd ^Hkfy;k^ dk vuØekd 90 e Hkfy;k&Hkkfy;k tkfr d mPpkj.k lc/kh =fV ekudkj Hkfy;k&Hkkfy;k d mijkr ^Hkfy;k^ LFkkfir fd; tku dh vu'kalk if"kr dh tkoA lfpo] N-x- 'kklu] vkfne tkfr rFkk vulfpr tkfr fodkl foHkkx] e=ky;] egkunh Hkou u;k jk;ij dk if"kr i= Ø- 1683@tkfr@fi-o-vk- jk;ij] fnukd 20-09-2013 d ifji{; e N-x- 'kklu] vkfne tkfr rFkk vulfpr tkfr fodkl foHkkx] e=ky;] egkunh Hkou u;k jk;ij dk vf/klpuk Ø-@,Q 19&16@2014@25&2 fnukd 13-10-2014 dk vuØekd 90 e Hkfy;k&Hkkfy;k d mijkr ^Hkfy;k^ dk LFkkfir fd;k x;kA

8- ;n tkfr ¾& ;n tkfr d lekt ie[kk }kjk N-x- jkT; d vU; fiNM ox dh lph e Ø- 01 'kkfey dju d lc/k e vkonu iLrr fd;k x;k ftl ij vk;kx }kjk dk;okgh djr g, iLrr vfHky[kk ij eku- lnL; Jh noUn tk; loky egkn; }kjk jk;ij] /kerjh ,o ckykdkck tkj&HkkVkikjk fty fofHkUu fodkl [kMk ;n lekt d xkeh.k {k=k dk Hke.k dj tuluokb dh ,o eku- lnL; egkn; }kjk ;n lekt dk vU; fiNMk ox dh lph e vuØekd 01 e vfdr xkiky] ;kno] jkor] Xokyk d mijkr LFkkfir fd; tku lc/kh ifronu iLrr fd;k x;k cBd e iLrr ifronu ij vk;kx d eku- v/;{k ,o lnL;x.kk }kjk lolEefr l N-x- jkT; dh vU; fiNMk ox dh lph e vuØekd 01 e xkiky] ;kno] jkor] Xokyk d mijkr ^^;n** LFkkfir fd; tku dh vu'kalk dh xbA

¼c½ vk;kx dh miyfC/k;k %&

।।कार्यालय तहसीलदार गुण्डरदेही, जिला बालोद, (छ.ग.)।।

जांच प्रतिवेदन

क्रमांक / 226 / प्र0तह0 / 2015 गुण्डरदेही दिनांक 18 / 03 / 2015

प्रति,

माननीय अध्यक्ष महोदय,
छ.ग.राज्य पिछडा वर्ग आयोग,
रायपुर (छ.ग.)

विषयः— खसरा नंबर 62 का टु0 रकबा 0.13 हे0 भूमि को तेजराम द्वारा जबरन कब्जा करने से कब्जा हटवाकर भूमि स्थल पर दिलाने बाबत् ।

सन्दर्भः— आवेदक कार्तिकराम साहू ग्राम पैरी तहसील गुण्डरदेही का आवेदन पत्र दिनांक 8.7.2015

——0——

कृपया आवेदन पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करेगें । आवेदक आवेदक कार्तिकराम साहू ग्राम पैरी तहसील गुण्डरदेही जिला बालोद द्वारा आपके समक्ष आवेदन पेश किया गया कि खसरा नंबर 62 का टु0 रकबा 0.13 हे0 भूमि को जो ग्राम पैरी प.ह.नं.29 तहसील गुण्डरदेही जिला बालोद (छ.ग.) में स्थित है जिसे तेजराम यादव के द्वारा 15 वर्षो से कब्जा कर परेशान कर रहा है । उक्त भूमि से तेजराम से कब्जा दिया जावे, के संबंध में जांच प्रतिवेदन चाही गयी है ।

आवेदक द्वारा ग्राम पैरी तहसील गुण्डरदेही में स्थित आवेदित भूमि खसरा नंबर 62 रकबा 0.28 हे0 में से खसरा नंबर 62/2 रकबा 0.05 हे0 आवेदक कार्तिक आ0 छबिलाल के नाम पर खसरा नंबर 62/1 रकबा 0.23 हे0 अनावेदक श्री रामायण सेवा समिति संचालक अध्यक्ष तकियापारा दुर्ग सेवा खातेदार के स्वामित्व की है । उक्त भूमि के कब्जा के संबंध में उभयपक्षो के बीच विवाद था । जिसे स्थल माप कर अपने अपने स्वामित्व की भूमि का कब्जा तहसीलदार द्वारा पक्षकारो को दिलाया जा चुका है । यदि आवेदक कोई अन्य अनुतोष प्राप्त करना चाहता है, तो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संभव नहीं है ।

अतः जांच प्रतिवेदन उचित आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है ।

तहसीलदार,
गुण्डरदेही

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

विषय--- धन्यवाद---आभार पत्र हेतु।

महोदय,

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष हमारे जोशी समाज द्वारा भटरी, भठरी, भड्री जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग रखी थी इस मांग पर आयोग द्वारा गहन अध्ययन उपरांत गंभीरता से विचार कर अल्प समय में हमारी मांगो को आपने पूरा किया और भटरी, भठरी, भड्री जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया। आपके अथक प्रयासों से यह कार्य संपन्न हो सका। जिसके लिए हम जोशी समाज महासभा हृदय के अन्तर्मन की गहराईयों से आपका एवं आयोग परिवार को धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता है।

घनश्याम जोशी
भवदीय
जोशी समाज अध्यक्ष
घनश्याम जोशी
ग्राम-लावर, पो.अ.-हथबंद
तह-सिमगा जिला-बलौदा
बाजार (छ.ग.)

प्रति,

सचिव,
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– सामाज से बहिस्कृत किये जाने की शिकायत के संबंध में आभार व्यक्त करने बाबत्।

––00––

मैं नोहर लाल साहू आयोग कार्यालय में समाज से बहिस्कृत किये जाने के संबंध में शिकायत किया गया था। आयोग द्वारा कार्यवाही करते हुये अनावेदकगण को आहूत किया गया था। जिस पर आज दिनांक 18.07.2014 को नियत पेशी में आयोग कार्यालय में आवेदक एवं अनावेदक एवं ग्रामवासियों के बीच आपसी समझौता किया गया जिस कारण मेरी शिकायत का निराकरण हुआ। मैं उक्त समझौता के लिए में आयोग का बहुत–बहुत आभारी हूं।

Sahu
प्रार्थी 18.07.14

नोहर लाल साहू
ग्राम– करमरी, तह.– छुरिया
जिला – राजनांदगावं (छ.ग.)

मो. नं. 94061–00188, 95846–03169

फुटपाथ ठेला व्यवसायी प्रकोष्ठ

(यूनाईटेड कौसिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स, छत्तीसगढ़)
वार्ड क्र. 20 महामाया मंदिर के पीछे गौरव पथ अम्बिकापुर 497001

क्रमांक ..../2014 रायपुर, दिनांक 10.03.2014

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव महोदय
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– धन्यवाद व्यक्त करने बाबत्।

महोदय,

फुटपाथ ठेला व्यवसायी प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी नगर पालिक निगम अम्बिकापुर में फुटपाथ ठेला व्यवसायियों पर टाऊन वेन्डिग कमेटी के निर्णय द्वारा शहर में फुटपाथ ठेला व्यवसायियों के जीविका उर्पोजन की संकट आ चुकी थी। संगठन के माध्यम से हम सभी ने धरना प्रदर्शन रैलीयो के माध्यम से कमेटी के निर्णय पर पुनः विचार कराने हेतु संघर्ष किया तभी आयोग के मान. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव जी के सरगुजा प्रवास के दौरान हमने आवेदन पत्र के माध्यम से अपने समस्याओं को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया। आयोग के योग्य निर्भीक व्यक्ति के अध्यक्ष होने के कारण तथा सचिव श्री एल.आर. कुर्रे जी के सहयोग से त्वरित् कार्यवाही करते हुये आयुक्त नगर पालिक निगम को आहुत कर तत्काल व्यवसायियों के समस्याओं का निदान कराया जिसके लिये संघ आपका सदैव आभारी रहेगा।

धन्यवाद!

10.03.2014

(बन्टी कश्यप)
प्रदेशाध्यक्ष

प्रति,

मानननीय अध्यक्ष / सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- धन्यवाद ज्ञापन हेतु।

महोदय जी

मैं प्रेम प्रकाश आ० रूमन लाल बघेल, निवास: क्वॉटर - स्लॉक. क्वॉर्टर न० 2 B/10 Type मरोदा टैंक भिलाई — जो कि आपके आयोग में रेडियो ग्राफर भर्ती में पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा संबंधी शिकायत (संयुक्त संचालक स्वास्थ्य एवं सेवायें बिलासपुर के विरुद्ध) किया था। उक्त शिकायत को आयोग अति संज्ञान में लेते हुए, आवश्यक जांच कर अतिशीघ्र कार्यवाही करते हुए, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य एवम् सेवायें बिलासपुर को अपनी अनुशंसा करते हुए आदेश जारी किया, कि मुझे अविलम्ब रेडियोग्राफर पद पर मेरी नियुक्ति दी जाये। परिणाम स्वरूप मुझे नौकरी मिल गई।

अत: मैं और मेरा परिवार आयोग की इस अहम - फैसले का स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तथा आयोग के प्रति आभार प्रकट करते हैं।

[signature] 5/2

आवेदक: आपका
प्रेम प्रकाश
भिलाई (छ.ग.)

दिनांक
5/2/2014

प्रति,

माननीय / अध्यक्ष छ0ग0 राज्य पिछड़ावर्ग

आयोग रायपुर छ0ग0

विषय :— धन्यवाद ज्ञापन हेतु

महोदय,

मैं देवनारायण भोई पिता श्री छत्तुराम भोई निवासी ग्राम जांजी तह0 मस्तुरी जिला बिलासपुर छ0ग0। जो कि मैं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) व अतिरीक्त तहसीलदार सीपत के द्वारा भोई जाति का अस्थायी व स्थायी जाति नही बनाने के संबंध में मानंनीय श्री सोमनाथ यादव जी से मुलाकात करके उक्त प्रकरण के बारे में पिछड़ावर्ग आयोग में शिकायत किया था जो माननीय यादव जी व सचिव महोदय के त्वरित कार्यवाही करते हुए मुझे छ0ग0 राज्य पि0आयोग के माध्यम से आज स्थायी जाति जारी किया गया है।

अतः मैं और मेरा परिवार आयोंग की इस अहम पहल का स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करतें है तथा आयोग के प्रति आभार प्रकट करतें है ।

भवदीय

देवनारायण भोई

पिता श्री छत्तुराम भोई

निवासी ग्राम जांजी

मो0 नं0 9827958252

प्रति,

सचिव महोदय,
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

विषयः— उधार दी गयी राशि के संबंध में की शिकायत का निराकरण होने की सूचना बाबत्।

——00——

महोदय,

मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में श्री पन्नालाल निर्मलकर के विरूद्ध उधार दी गयी राशि के संबंध में शिकायत की गयी थी। जिसमें छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर के कार्यवाही उपरांत अनावेदक द्वारा उधार ली गयी राशि को दिनांक 24.02.2015 को वापस लौटा दिया गया। आयोग के द्वारा की गई कार्यवाही से मेरा पैसा मुझे वापस मिल गया जिससे मै मान. आयोग के सचिव महोदय एवं आयोग परिवार का हद्रय से आभारी हूं।

धन्यवाद!

आवेदक

20/3/2015
पदुमलाल साहू
निवासी ग्राम पोस्ट तुसदा,
जिला—महासमुंद (छ.ग.)

v/;k;& 8

vul/kku idk"B %&

¼v½ NRrhlx<+jkT; xBu mijkr vk;ksx }kjk N-x- 'kklu dksvuqlwfp'kr uohu tkfr;k ftudk NRrhlx<+jkT; dh vuqlwph esa lekos'ku dh xbZgS%

¼N-x- xBu ls31 ekpZ2015 rd v?kru fLFkfr½

Øa	tkfr dk uke	vuqØekad ¼jkT; dh lwph esa LFkkfir½	'kklu }kjk tkfr LFkkfir dh vf/klwpuk Øekad o fnukad	jkti= esa izdkf'kr Øekad@fnukad
1-	jkor	01	Mh& 3136@3662@2002@vxLr 2002	10@ 7 ekp 2014
2-	iVy ¼gjfn;k ejkj½	33¼c½	Mh& 3136@3662@2002@vxLr 2002	10@ 7 ekp 2014
3-	'kkf.Md] l.Mh] lMh ,o lk<h	89	Mh & 4221@944@2003@16-08-2002	206@16 vxLr 2002
4-	ikfc;k	91	Mh& 3599@1109@2003@31-07-2003	10@ 7 ekp 2014
5-	dkbj	33¼v½	Mh& 3136@25&2@2004@08-09-2004	42@15 vDVcj] 2004
6-	Hkfy;k&Hkkfy;k	90	Mh&5067@1109@2005@27-08-2005	37@16 flrEcj 2005
7-	dlj	36	,Q&10&3@25&3@09@08-07-2009	10@ 7 ekp 2014
8-	xkiky	01	,Q&19&54@25&2@10@14-09-2010	40@1 vDVcj] 2010
9-	ukFk;kxh	30	,Q&10&16@25&3@09@26-05-2010	27@2 tykbZ 2010
10-	dUch	39	,Q&10&17@25&3@09@03-07-2010	30@23 tykbZ 2010
11-	xMjh	23	,Q&10&3@25&3@09@07-09-2010	38@ 18 flrEcj 2009
12-	cjB	20	,Q&10&14@25&2@10@27-08-2010	39@24 flrEcj] 2010
13-	ekokj	60	,Q&10&02@25&2@09@27-08-2010	39@24 flrEcj] 2010
14-	jktHkj	68	,Q&10&11@25&2@10@14-09-2010	40@1 vDVcj] 2010
15-	pnukg] pUukg	39	,Q&10&13@25&2@10@14-09-2010	40@1 vDVcj] 2010
16-	xklkb	27	,Q&19&53@25&2@10@14-09-2010	40@1 vDVcj] 2010
17-	ufu;k] ukfu;k	44	,Q&10&19@25&2@10@22-09-2010	&&
18-	;kno@jkÅr@Xokyk	01	,Q&10&04@2012@25&2@28-04-2012	22@1 tu 2012
19-	doV	12	,Q&19&33@25&2@2012@07-09-2012	10@ 7 ekp 2014
20-	HkkjfFk;k] Hkkjfr;k	14	,Q&19&33@25&2@2012@07-09-2012	10@ 7 ekp 2014
21-	c;k	78	,Q&19&33@25&2@2012@07-09-2012	10@ 7 ekp 2014
22-	jkfu;kj	93	,Q&19&33@25&2@2012@07-09-2012	10@ 7 ekp 2014
23-	[kjk] [kMjk] [kkMjk	92	,Q&19&33@25&2@2012@07-09-2012	10@ 7 ekp 2014
24-	Fkukifr	03	,Q&19&22@25&2@2013@18-09-2013	10@ 7 ekp 2014
25-	xfj;k	16	,Q&19&22@25&2@2013@18-09-2013	10@ 7 ekp 2014
26-	gyokb	16	,Q&19&22@25&2@2013@18-09-2013	10@ 7 ekp 2014
27-	xcy	39	,Q&19&22@25&2@2013@18-09-2013	10@ 7 ekp 2014
28-	pfMgkj	87 ¼10½	,Q&19&22@25&2@2013@18-09-2013	10@ 7 ekp 2014
29-	fcn] chn]fcUn]chUn	94	,Q&19&22@25&2@2013@18-09-2013	10@ 7 ekp 2014
30-	>kjk	95	,Q&19&22@25&2@2013@18-09-2013	10@ 7 ekp 2014
31	xkyh	01	,Q&19&16@2014@25&2@13-10-2014	&&
32	xfgjk	01	,Q&19&16@2014@25&2@13-10-2014	&&
33	HkVjh] HkMjh] HkBjh	34	,Q&19&16@2014@25&2@13-10-2014	&&
34	dUoh] duoh	39	,Q&19&16@2014@25&2@13-10-2014	&&
35	dyokj	42	,Q&19&16@2014@25&2@13-10-2014	&&
36	Hkfy;k	90	,Q&19&16@2014@25&2@13-10-2014	&&
37	deykijh	93	,Q&19&16@2014@25&2@13-10-2014	&&

¼c½¼i½ iZkIr f'kdk;rksa dk fujkdj.k lc/kh v|ru fLFkfr%&

izkIr f'kdk;rksa dk fnukad 31 ekp] 2015 rd dh v?kru fooj.k vxzkuqlkj g%&

dqy izkIr f'kdk;r	fujkdr f'kdk;r	izfØ;k/khu f'kdk;r
516	438	78

आयोग को प्राप्त शिकायतों का विभागवार विवरण

(23 जनवरी 2007 से 31 मार्च 2015 तक)

क्रं.	विभाग का नाम	वर्ष (1 अप्रेल से 31 मार्च तक)								कुल प्राप्त आवेदन	निराकृत	प्रक्रियाधीन
		07–08	08–09	09–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गृह विभाग	2	6	12	3	10	17	15	10	75	62	13
2	उद्यानिकी विभाग					1				1	—	1
3	तकनीकी शिक्षा विभाग	1	2	2			1		1	7	6	1
4	जल संसाधन विभाग		2			1	4	1		8	7	1
5	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	2	1	1	1	4	17	12	1	39	33	6
6	राजस्व विभाग	3	4	3	1	7	25	20	5	68	56	12
7	स्वास्थ्य विभाग	1		2		1	6	9		19	16	3
8	महिला एवं बाल विकास	1				1	3	3		8	8	—
9	लोक निर्माण विभाग							1		1	—	1
10	उच्च शिक्षा विभाग	2	7	1		2	7	9		28	26	2
11	आदिम जाति कल्याण विभाग	6	11	6	3	9	7	6	1	49	47	2
12	स्कूल शिक्षा विभाग	1	2	1	4	2	5	5		20	18	2
13	नगरीय प्रशासन विकास विभाग	2			1	1	1	6		11	9	2
14	श्रम विकास विभाग		2	1		1		1		5	4	1
15	सामान्य प्रशासन विभाग		1		1	5	2	4	2	15	10	5
16	विधि विधायी विभाग			2						2	2	—
17	अंत्याव्यावसायी विकास विभाग	2	1	2		1				6	6	—
18	छत्तीसगढ़ महालेखाकर	1								1	1	—
19	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विकास विभाग,	1								1	1	—
20	उद्योग विभाग							1		1	1	—

21	भिलाई इस्पात संयंत्र			1		1				2	2	—
22	एस.ई.सी.एल.						2			2	2	—
23	साहकारिता विभाग			1		1		1		3	3	—
24	विद्युत मंडल			1	4	3	3	1	1	13	12	1
25	वन विभाग					2	4	1		7	7	—
26	रेल प्रशासन						2			2	2	—
27	मत्स्य विकास विभाग						2			2	2	—
28	खेल विकास विभाग						1			1	1	—
29	बालको						1			1	1	—
30	डाक विभाग						1			1	1	—
31	आर्थिक एवं सांख्यिकी विकास विभाग							1		1	1	—
32	कृषि विकास विभाग						2		3	5	2	3
33	विविध	11	6	3	4	14	33	29	11	111	89	22
	योगः—	36	45	39	22	67	146	126	35	516	438	78

¼c½¼ii½ vk;kx dk iklr tkfr;ka d fujkdj.k lca/kh v|ru fLFkfr

vk;kx dk NRrhlx< jkT; dh Hkkxkfyd lhekvk l iklr tkfr lca/kh vkonuk dk fooj.k ¼fnukd 31 ekp] 2015 rd½ vxiidkj g%&

dy iklr tkfr;ka	fujkdr tkfr;ka	ifØ;k/khu tkfr;ka
92	75	17

o"k 31] ekp] 2015 rd vk;kx e ifØ;k/khu tkfr;ka dh v|ru lph

Ø-	iklr vkonu	vkonu dh v|ru fLFkfr	fjekdl
1-	ekgdM] egdM] egdj	ifØ;k/khu	
2-	lkfMd] lkf.Md	&&0&&	
3-	egjk¼oL=dkj½		
4-	iVok] ukeno] fNih ikVLdj] nth] njth	&&0&&	
5-	ekjkBk ryh] ejkBh ryh	&&0&&	
6-	Nhck	&&0&&	
7-	e/kjk/kk ¼/kkch½ dykj	&&0&&	
8-	xkyfj;k	&&0&&	
9-	ekfeu@vlkjh	&&0&&	
10-	lxjo'kh	&&0&&	
11-	tkxh	&&0&&	vul/kku dk; ixfr ij
12-	xfM;k@xMh;k	&&0&&	vul/kku dk; ixfr ij
13-	xoy@xHky	&&0&&	vul/kku dk; ixfr ij
14-	xgjk	ifØ;k/khu	
15-	'kkd}hih; ckEg.k lod ¼i tkjh½	&&0&&	
16-	Fkfj;k] FkfM;k	&&0&&	vul/kku dk; ixfr ij
17-	^xojk*	ifØ;k/khu	

छत्तीसगढ़ शासन

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

सी– 21, रवि नगर, कलेक्टोरेट के पीछे, रायपुर (छ.ग.) फोन नं – 0771- 2420352

क्रमांक 384 / रापिवआ / 2014 रायपुर, दिनांकः 03/05/2014

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :– छ.ग. राज्य के पिछड़ा वर्ग की सूची में उपजातियों हेतु स्थापित कोष्टकों को अल्पविराम द्वारा प्रतिस्थापित करने बाबत्।

विषय :– अधिसूचना क्रं. एफ–19–22/25–2/2013 आजावि, रायपुर, दिनांक 18.09.2013।

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा छ.ग. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में स्थापित 16 जातियों के उपजातियों के समक्ष अंकित कोष्टक को अल्पविराम " , " के द्वारा प्रतिस्थापित करते हुए आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने अधिसूचना जारी की गयी है। उक्त आदेश में शासन के द्वारा कोष्टक को अल्पविराम " , " से प्रतिस्थापित करने संबंधी छ.ग. की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में स्थापित कुछ जातियों के समक्ष अंकित कोष्टक विलोपित होने में छूट गये है अग्रांकित जातियों के समक्ष उपजातियों का कोष्टक विलोपित नहीं होने से उन्हें जाति प्रमाण पत्र जारी एवं सत्यापन की प्रक्रिया में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः अग्रानुसार छ.ग. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के उपजातियों के समक्ष अंकित कोष्टक को अल्पविराम " , " से प्रतिस्थापित किये जाने अनुरोध है।

क्रं.	अनुक्रमांक	जाति / उपजाति का नाम (जिनके समक्ष अंकित कोष्टक प्रतिस्थपित करना)	संशोधित जाति / उपजाति समूह
1	2	3	4
1.	06	बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा)	बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर, विश्वकर्मा
2.	19	दर्जी, छीपी, छिपी, शिपी, मावी (नामदेव)	दर्जी, छीपी, छिपी, शिपी, मावी, नामदेव
3.	28	गूजर (गुर्जर)	गूजर, गुर्जर

उक्ताशय का आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का पत्र अवलोकनार्थ संलग्न है।

संलग्नः– यथोपरि।

सचिव
छ.ग.राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

v/;k;& 9

tu lpuk ,o uo igy %&

lpuk d vf/kdkj vf/kfu;e 2005 d vuikyu e N- x- jkT; fiNMk ox vk;kx e Hkh tu lpuk idk"B dk xBu dj tu lpuk vf/kdkjh ,o lgk;d tu lpuk vf/kdkjh dk mRrjnkf;Ro fu/kkfjr fd;k x;k gA vf/kfu;e d ifjikyu e vkonudrkvk }kjk viuh f'kdk;rk@tkfr;k d lfEeyu@fu"dklu ,o lLrfr;k l lcf/kr vkonuk ij pkgh x;h lpuk, fu;ekulkj nh tkrh gA

o"k 1 vily] 2014 l 31 ekp 2015 rd nh lpukvk dk fooj.k vxidkj g%&

Ø-	ikIr vkonu i=k dh l[;k	fujkd`r vkonuk i=k dh l[;k	fjekd
1	14	14	&&

foHkkxh; tkudkjh d vrxr ilkfjr dju okys ikf/kdkfj;k dk fooj.k

foHkkx dk uke	dk;ky; dk uke	ykd ikf/kdkjh dk uke	tu lpuk vf/kdkjh dk uke	iFke vihyh; vf/kdkjh	foHkkx d vf/kuLFk
1	2	3	4	5	6
vkfne tkfr rFkk vulfpr tkfr fodkl foHkkx	NRrhlx< jkT; fiNMk ox vk;kx	Jh ,y-vkj- dj] lfpo	Jherh vfurk MdkV	vij lpkyd ¼LFkkiuk½] dk;ky;] vk;Dr vkfne tkfr rFkk vulfpr tkfr fodkl] jk;ij	&&

NRrhx< jkT; fiNMk ox vk;kx }kjk lpuk ,o ik|kfxdh d {k= e uohu igy djr g, oclkbV ,o b&ey fufer dj f'kdk;rk@vkonu@leL;kvk dk lKku e fy;k tkrk gA

fiNMk ox vk;kx }kjk ikIr f'kdk;r@vkonuk dk fooj.k bl idkj g%&

oclkbV d ek/;e l jkT; fiNMk ox vk;kx }kjk n-x- jkT; d vU; fiNMk ox d vke ukxfjdk d f"kdk;r ,o vkonuk dk ikIr dj g'k dk vuHkko fd;k x;kA vk;kx }kjk lpkj d fofHkUu lk/kuk l ikIr leL;kvk dk fujkdj.k fd;k tkrk g tk uohu igy gA

oclkbV@b&ey ,Ml bl idkj g%& **Website-www.cgobc.com Email: secretary_bcc@yahoo.in**

tu lpuk vf/kdkjh %&	**Jherh vfurk MdkV**	**ek-u-&** 9479127037
lgk- tu lpuk vf/kdkjh %&	**Jh ,l-frdh**	9074124626

fo"k;& lph

Øekd	fo"k;& lph	i"B l[;k
01	v/;k;& 1 vk;kx dh vko';drk ,o xBu	1
02	v/;k;& 2 jkT; fiNMk ox vk;kx dk lf{kIr ifjp;	2&3
03	v/;k;&3 jkT; fiNMk ox vk;kx d mnn';@dk; ,o 'kfDr;k	4&6
04	v/;k;&4 fiNM oxk d fgrkFk 'kklu d tkjh vkn'k@fun'k %&	7&33
	¼v½ lkekftd ikfLFkfr vf/kfu;e	
	¼c½ fØfey;j d ekin.Mk dk l'kk/ku dk ,d tkbdj.k lc/kh fun'k %&	
05	v/;k;&5 jkT; fiNMk ox vk;kx dk foRrh; ctV	34
06	v/;k;&6 jkT; 'kklu dh vulph e lfEefyr vU; fiNMk ox dh tkfr;k@lenk; %&	35&58
	¼v½ N-x- 'kklu }kjk e/;in'k e lfEefyr fiNMk ox dh lphA	
	¼c½&¼i½ Hkkjr 'kklu d dUnh; lph e lfEefyr N-x- jkT; d vU; fiNMk ox dh tkfr;k dh lph%&	
	¼c½&¼ii½Hkkjr 'kklu d dUnh; lph e lfEefyr N-x- jkT; d v-fi-o-dh tkfr;k dh leko'k ¼l'kk/ku mijkr½ %&	
07	v/;k;&7 vk;kx dh lLrfr ,o miyfC/k;k %&	59&68
	¼v½ vk;kx dh lLrfr	
	¼c½ vk;kx dh miyfC/k;k	
08	v/;k;&8 vul/kku idk"B %&	69&73
	¼v½ vk;kx }kjk N-x- 'kklu dk vu'kfIr uohu tkfr;kA	
	¼c½¼i½ vk;kx dk ikIr f'kdk;rk dh fujkdj.k lc/kh v|ru fLFkfrA	
	¼c½¼ii½ vk;kx dk ikIr tkfr;k d fujkdj.k lc/kh v|ru fLFkfrA	
09	v/;k;&9 tulpuk ,o uo igy	74

izLrkouk %&

lkekftd] /kkfed] jktufrd vkj ,frgkfld dkj.kk l mif{kr vkj fodkl dh nkM e fiNM g; detkj ykxk d mRFkku rFkk U;k; lEer] lerkeyd vkj c/kRoi.k lekt dh LFkkiuk d fy, Hkkjrh; lfo/kku d fuekrk Mk- ckck lkgc Hkhejko vcMdj u lfo/kku e fo'k"k iko/kku fd,A blh dMh e fiNM oxk dh n'kkvk d vUo"k.k d fy, Hkkjr d lfo/kku d vuPNn 340 ¼1½ d rgr ;g 0;oLFkk dh xbl fd jk"Vifr Hkkjr d Hkhrj lkekftd vkj 'k{kf.kd nf"V l fiNM oxk dh n'kkvk d vkj ftu dfBukb;k dk o >y jg g mud vkj mudh n'kk dk l/kkju d fy, l?k ;k fdlh jkT; }kjk tk mik; fd, tku pkfg, mud ckj e vkj ml i;ktu d fy, l?k ;k fdlh jkT; }kjk tk vunku fd, tku pkfg, vkj ftu 'krk d v/khu o vunku fn, tku pkfg, mud ckj e fl Qkfj'k dju d fy,] vkn'k }kjk] ,d vk;kx fu;Dr dj ldxk tk ,l 0;fDr;k l feydj cuxk tk og Bhd le> vkj ,l vk;kx dk fu;Dr dju okyk vkn'k e vk;kx }kjk vuljk.k dh tku okyh ifØ;k ifjfuf'pr dh tk,xhA

lfo/kku d vuPNn 340¼1½ d rgr 21 tuojh] 1953 dk ifl) lekt lod dkdk lkgc dkyydj dh v/;{krk e 11 lnL;h; fiNMk ox vk;kx xfBr fd;k x;k bl vk;kx }kjk ij n'k dh yxHkx 2300 tkfr;k dk fiNM ox e 'kkfey dju d fy, ,d lph r;kj dh xbA mld i'pkr jkT; ljdkjk u viu&viu jkT;k e fiNMk ox vk;kx dk xBu fd;k x;k vkj vk;kx dh flQkfj'kk d vu:i bl ox d ykxk d dY;k.k d dne mBk, x, ,o mUg f'k{kk e lfo/kk, vkj ukdfj;k e vkj{k.k nu dh 'k:vkr dh xbA

dUnz ljdkj }kjk 19 vxLr] 1980 dk xfBr fiNMk ox vk;kx ¼eMy vk;kx½ u vfoHkkftr e/;in'k d fiNM ox dh n'kk dk v/;;u dju d fy, e/;in'k dk nkjk fd;k FkkA vk;kx d v/;{k ch-ih- eMy u in'k dh vulfpr tkfr;k ,o tutkfr;k d vykok 'k{kf.kd ,o lkekftd :i l fiNMh gb tkfr;k dh vkj ljdkj dk /;ku vkdf"kr fd;kA 1980 e gh e/;in'k e fo/kkulHkk d o"kkdkyhu l= e in'k d fiNM ox d mRFkku d mik; l>ku gr ,d lfefr Jh jketh egktu] fo/kk;d dh v/;{krk e xfBr dju dh ?kk"k.kk dh xbA 5 flrEcj 1980 dk lfefr d LFkku ij vk;kx d xBu dk vkn'k fn;k x;kA vk;kx d iFke v/;{k Jh jketh egktu FkA 22 fnlEcj] 1983 dk egktu vk;kx u rRdkyhu e/;in'k 'kklu d le{k 82 ox@tkfr@leg dk fiNMk ox d :i e fpUgkfdr dj ekU;rk inku djr g, fjikV iLrr dh ftl 'kklu }kjk lph e dfri; l'kk/ku djr g, fiNMh tkfr@mitkfr@ox leg dh l'kkf/kr lph idkf'kr dh x;h ftl oreku e NRrhlx< jkT; iFkd gku mijkr vudyu fd;k x;k gA

ioorh e/;in'k jkT; l iFkd gkdj NRrhlx< jkT; d xBu mijkr vU; fiNMk oxk d lokxh.k fodkl ,o lpkfyr fofHkUu ;ktukvk d lpkyu dh egRrk dk Lohdkj djr g, N-x- jkT; fiNMk ox vk;kx dk xBu fd;k x;kA fodkl dh mUUkr lHkkoukvk d iFk ij vxlj NRrhlx< d vU; fiNMk oxk d lex fodkl ,o fgr lo/ku dh ifrc)rk d ifr tkx:drk gr N-x- jkT; fiNMk ox vk;kx e iFke v/;{k tktxhj&pkik d eku- ukjk;.k pny ,o f}rh; v/;{k d in ij Mk- lkeukFk ;kno dk vk;kx dk nkf;Ro lkik x;kA oreku e 'kklu }kjk rrh; v/;{k d in ij NRrhlx< 'kklu] vkfne tkfr rFkk vulfpr tkfr fodkl foHkkx] e=ky;] bUnkorh Hkou] u;k jk;ij d vkn'k Øekd ,Q&19&47@2011@25&2 u;k jk;ij fnukd 01-07-2015 }kjk Mk- fl;kjke lkg dk eukuhr fd;k x;kA N-x- jkT; fiNMk ox vk;kx

jk;ij 'kgj d gn; LFky uxj ?kMh pkd e dyDVkjV ifjlj d ihN 21&lh] jfouxj e fLFkr g tk N-x- jkT; d fofHkUUk {k=k l vku oky fHkUUk&fHkUu ifjogu d lk/kuk d fy, lyHk igp LFky gA N-x- jkT; e fiNMk ox vk;kx mruh gh lyHkrk l vU; fiNMk ox d fgr lj{k.k ,o fgr lo/ku gr dk;jr gA

N-x- jkT; fiNMk ox vk;kx vf/kfu;e d ifjikyu djr g, N-x- jkT; fiNMk ox vk;kx fiNM oxk d 'kHkfprd] fgr "kh] iFkin'kd ,o lg;kxh ijke'knkrk d :i e dk;jr gA vk;kx ,d lo/kkfud lLFkk g ftl flfoy U;k;ky; dh vf/kdkfjrk Hkh ikIr gA

v-fi-o- d lc/k e vku okyh dfBukb;k] fgr lj{k.k dh leL;k 'kklu d le{k iLrr dju vk;kx d :i e ,d ep ikIr gvk gA vk;kx }kjk v-fi-o- d Hkfe edku vkfn ij tcju dCtk dju] ekjihV dju] vU; fiNMk oxk dh irkMuk 'kklu d fu;eku lkj lfo/kk ,o vkj{k.k ink; dju e ykijokgh] oru LoRok d HkXkrku ,o inkUufr d fo"k; ifyl }kjk lg;kx u nu lc/kh ekeyk dh f'kdk;rk d lkFk gh lkFk tkfr iek.k i= e foyc] 'kklu dk ;ktukvk lc/kh l>ko ,o njHkk"k ,o b&ey d ek/;e l ikIr f'kdk;rk rFkk lekpkj i=k ij lKku ydj Hkh dk;okgh djrk gA

Hkkjrh; lfo/kku d vuPNn 15¼4½ e 'k{kf.kd rFkk lkekftd :i l fiNM oxk d fy, 'kkldh; ukdjh e i;kIr ifrfuf/kRo u gku dh n'kk e vkj{k.k dh O;oLFkk dk iko/kku fd;k x;kA ekp 1953 e dkdk dkyydj iFke deh'ku dh fu;fDr d i'pkr ekp 1955 e dkdk dkyydj dh fjikV Hkkjr 'kklu dk iLrr dh xbA bl fjikV ij o"k 1959 rd le;≤ ij cgl gkrh jgh yfdu ifj.kke ugh fudyA fiNM oxk d vkj{k.k dh ckr ik;% Hkyk nh xbA turk 'kklu e 31 fnlEcj 1978 dk iu% Jh ch-ih- e.My dh v/;{krk e 6 InL;h; vk;kx dk xBu fd;k x;k vkj bl vk;kx u tuojh 1979 l viuk dk; ikjHk fd;k rFkk fnukd 31-12-1980 dk rRdkyhu i/kkue=h dk ifronu iLrr fd;kA e.My vk;kx d bl ifronu ij vxLr 1990 rd fdlh idkj dk dkb fopkj ugh fd;k x;kA fofnr gk fd e.My vk;kx u gh vfoHkkftr e/;in'k jkT; d fiNM ox d n'kk dk v/;;u dju d fy, 19 vxLr 1980 dk e/;in'k jkT; dk nkjk fd;k ,o rRdkyhu e[;e=h dk in'k dh vulfpr tkfr ,o vulfpr tutkfr;k d vfrfjDr 'k{kf.kd ,o lkekftd :i l fiNMh gb tkfr;k dh vkj /;ku vkdf"kr djok;k rFkk fiNM oxk dh vR;r n;uh; n'kk d mRFkku ,o dY;k.k d dk; ikjHk dju d l>ko fn;A e.My deh'ku d rkjrE; e dUn 'kklu d fun'k ij vfoHkkftr e/;in'k d e[;e=h }kjk lu 1980 e Jh jketh egktu dh v/;{krk fiNM oxk d fgrkFk 10 InL;h; vk;kx xBu fd;kA egktu vk;kx u viuk ifronu fnlEcj 1983 dk 'kklu dk iLrr fd;kA Kkro; gk fd rRdkyhu i/kkue=h Jh Ogh-ih- flg u e.My vk;kx dh flQkfj'kk dk ekur g, dUn 'kklu d ukdjh o f'k{k.k lLFkkuk e 27 ifr'kr d vkj{k.k dh ?kk"k.kk 8 vxLr 1990 dk dh x;h ,o 13 vxLr 1990 dk bld fof/kor vkn'k dUn ljdkj }kjk tkjh fd; ,o dUn o jkT; ljdkjk dk viu&viu Lrj ij lEiUu oxk dh igpku 04 ekg d vnj dju fun'k fn; FkA U;k;efr vkj-,u- ilkn dh v/;{krk e xfBr ilkn lfefr u ifj{k.kkijkr fnukd 10-03-1993 dk lEiUu ox ¼fØehy;j½ dh igpku d fl)kr ifrikfnr fd; x;A dUn ljdkj u ilkn deVh dh fjikV i.k :i.k Lohdkj dj yh ,o vfoHkkftr e/;in'k }kjk rnmijkr NRrhlx< 'kklu }kjk Hkh mDr lfefr dh fjikV dk dUn }kjk vuekfnr lEiUu ox gr i'kLr vk/kkj vxhdkj fd;A tuojh o"k 2000 e iooorh e/;in'k l vyx gku d mijkr NRrhlx< e vk;kx tuojh 2007 dk xBu fd;k x;kA vU; fiNM oxk d fgr ,o leL;kvk dk ydj vk;kx voujr dk;jr gA